PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 स्वच्छता एवं जल की उपलब्धता

लैंगिक समानता के लिए आवश्यक

2 अफगान-तालिबान शांति वार्ता की धीमी प्रगति

3 वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम एनीव्हेयर तक : बढ़ता चलन

4 भारत वर्ष 2025 में विश्व की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था : सीईबीआर

5 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग : भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़

6 यूएनएससी में राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखने की आवश्यकता

7 बंगाल की खाड़ी एवं अंडमान सागर : भारत का सामरिक द्वार

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS
most trusted since 2003

PERFECT 7
Weekly Current Affairs

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।
इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

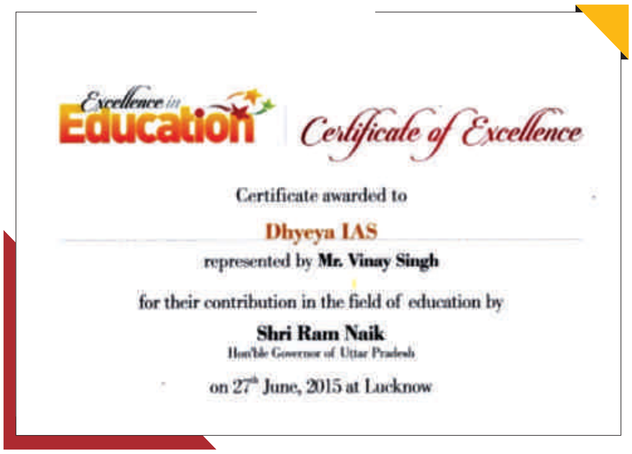

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

जनवरी ◎ 2021 | अंक ◎ 02

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–15

- स्वच्छता एवं जल की उपलब्धता : लैंगिक समानता के लिए आवश्यक
- अफगान-तालिबान शांति वार्ता की धीमी प्रगति
- वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम एनीव्हेयर तक : बढ़ता चलन
- भारत वर्ष 2025 में विश्व की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था : सीईबीआर
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग : भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़
- यूएनएससी में राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखने की आवश्यकता
- बंगाल की खाड़ी एवं अंडमान सागर : भारत का सामरिक द्वार

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 16–22

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 23–24

7 महत्वपूर्ण खबरें 25–29

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 30

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 31

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 32

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 स्वच्छता एवं जल की उपलब्धता : लैंगिक समानता के लिए आवश्यक

चर्चा का कारण

- वर्ष 2018 में, भारत सरकार ने "सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह" (Satyagraha se Swachhagrah) अभियान प्रारम्भ किया। फलस्वरूप भारत में स्वच्छता की आदतों में बड़े बदलाव देखने को मिले। सौभाग्य से, स्वच्छता सरकार के एजेंडे में प्राथमिक सूची में शामिल है। कोविड-19 महामारी के दौर में स्वच्छता और पानी के मुद्दों को संबोधित करके, हम स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और आजीविका में सुधार कर सकते हैं। चूंकि खुले में शौच, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि स्वच्छता से जुड़ी जरूरतों और महिलाओं की कमजोरियों को बेहतर तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए।

परिचय

- महात्मा गांधी का कथन है, 'स्वच्छता, राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्त्वपूर्ण है।' यह कथन समाज में स्वच्छता के महत्व को रेखांकित करता है। उनके इसी कथन को को मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के सबसे बड़े हिमायती महात्मा गाँधी को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धाजंलि स्वरूप खुले में शौच मुक्त ग्रामीण भारत समर्पित किया।
- देश के सभी 699 जिलों को शौच मुक्त करने की घोषणा, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण की 6 वर्ष की प्रेरणादायक और महत्ती यात्रा का प्रतीक है। अक्टूबर 2014 में जब यह यात्रा शुरू हुई तब भारत में स्वच्छता का स्तर केवल 39 प्रतिशत था और इसलिए एक नए अभियान के तहत इस बड़े लक्ष्य को हासिल करना एक असम्भव काम लगता था। इस गौरवशाली उपलब्धि ने लगभग 60 करोड़ लोगों को स्वच्छता पर अमल के लिए प्रेरित कर, स्वच्छ भारत मिशन को, आदतों में बदलाव के दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया।
- खुले में शौच का मतलब है कि जब लोग शौचालय का उपयोग करने की बजाय खुले स्थानों में, यानी खेतों, जंगलों, झाड़ियों, झीलों और नदियों में शौच करते हैं। हालांकि विश्व में इसका चलन लगातार कम हो रहा है लेकिन टिकाऊ विकास लक्ष्यों के तहत विशेष रूप से मध्य और दक्षिण एशिया, पूर्वी और दक्षिण - पूर्व एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में 2030 तक इसके उन्मूलन के लिए शौचालय का उपयोग बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है।

जल, स्वच्छता और महिलाएं

- खुले में शौच मनुष्य की गरिमा, स्वास्थ्य और कल्याण का अपमान है- खासतौर पर लड़कियों और महिलाओं का। उदाहरण के लिए, दुनिया भर में लाखों लड़कियां और महिलाएं मासिक धर्म के समय एकांत में शौच के लिए नहीं जा पातीं। खुले में शौच करने से उनकी सुरक्षा को भी खतरा होता है और यौन शोषण का शिकार होने की आशंका भी रहती है।
- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ) के अनुसार, एक ग्राम मल में 1 करोड़ वायरस, एक लाख बैक्टीरिया और एक हजार परजीवी सिस्ट पाए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के अनुसार, स्वच्छता और साफ-सफाई की आदतें न होने से (जैसे कि शौच के बाद और खाने से पहले साबुन से हाथ नहीं धोना) सालाना 8 लाख से ज्यादा लोग मौत का शिकार हो जाते हैं-जोकि मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या से भी अधिक है।
- बुनियादी साफ-सफाई और स्वच्छता सेवाओं की कमी पानी और स्वच्छता के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इनमें मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के लिए मौजूद विकल्पों की जानकारी का नहीं होना भी शामिल है। साथ ही खुले में शौच करना स्वास्थ्य, कामकाज, एक स्तरीय सभ्य जीवन, भेदभाव रहित, मानव गरिमा, सुरक्षा, सूचना और भागीदारी के अधिकारों के भी विरुद्ध है।
- साफ पानी और स्वच्छता पर आधारित टिकाऊ विकास लक्ष्य 6, सभी के लिए पर्याप्त और न्यायसंगत स्वच्छता की हिमायत करता है और खुले में शौच का अंत करने व महिलाओं, लड़कियों और कमजोर वर्गों के लोगों की जरूरतों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। अब विभिन्न देशों की सरकारों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के सहयोगियों के पास इस मुद्दे से निपटने के लिए रोडमैप तैयार है और स्वच्छता परिषद (WSSCC) एक

दशक से समुदाय आधारित समाधान के लिए अनुदान दे रहा है। लेकिन फिर भी अभी एसडीजी का लक्ष्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा है।

सरकारी प्रयास

- स्वच्छता के अभाव के कारण होने वाली बीमारियों के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के जरिये देश को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य तय किये जिसे 2019 तक पूरा किया जाना था। इसके सम्बन्ध में एक कार्ययोजना बनाई गई जिसके तहत व्यक्तिगत, सामूहिक और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करके तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के जरिये गाँवों को स्वच्छ रखने पर जोर दिया गया।
- पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय ने भी 2012 से 2022 के दौरान ग्रामीण स्वच्छता और सफाई कार्यनीति तैयार की है। इसका मुख्य प्रयोजन निर्मल भारत की संकल्पना को साकार करने की रूपरेखा प्रदान करना और एक ऐसा परिवेश बनाना है जो स्वच्छ तथा स्वास्थ्यकर है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे प्राप्त करने के लिये विभाग ने कई कार्यनीति बनाई हैं।
- गांवों की खुले में शौच मुक्त स्थिति, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं का कार्यान्वयन, तथा पारिवारिक शौचालयों, स्कूल और आंगनवाड़ी शौचालयों और समुदाय स्वच्छता परिसरों के निर्माण और उपयोग की निगरानी करने के लिए एक सुदृढ़ निगरानी व्यवस्था की गई है। इस निगरानी पद्धति में सामाजिक ऑडिट जैसी एक सुदृढ़ समुदाय चालित प्रणाली का भी उपयोग किया जाता है। समुदाय आधारित मॉनीटरिंग और सतर्कता समितियाँ, लोगों में दबाव पैदा करने में सहायक होती हैं। राज्य, समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाले डिलीवरी पद्धति के बारे में निर्णय लेते हैं।
- 'ओडीएफ' को भारत सरकार द्वारा परिभाषित किया गया है और इसके लिए संकेतक बनाए गए हैं। इन संकेतकों के अनुरूप गांवों का सत्यापन करने के लिए विश्वसनीय प्रक्रिया लाने के लिए एक प्रभावशाली सत्यापन पद्यति बहुत आवश्यक है। चूंकि स्वच्छता राज्य का विषय है और राज्य ही कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मुख्य निकाय हैं, अतः ओडीएफ सत्यापन के लिए राज्य स्वयं एक बेहतर पद्धति तैयार कर सकते हैं। केन्द्र की भूमिका, विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं को आपस में साझा करना है और राज्यों द्वारा ओडीएफ घोषित ग्राम पंचायतों/ गांवों के एक छोटे प्रतिशत का मूल्यांकन करने के लिए पद्यति विकसित करना है और फिर आगे केन्द्र/राज्य के अवमूल्यन में भारी अंतर होने पर राज्यों को सहायता देना और मार्गदर्शन करना है।

चुनौतियाँ

- 2015 में भारत सरकार ने दावा किया था कि हर सरकारी स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए गए हैं। किन्तु वर्तमान स्थिति के मुताबिक 23 फीसदी से ज्यादा सरकारी स्कूल में शौचालय की सुविधा है ही नहीं।
- पुरुषों और महिलाओं के बीच सुविधाओं में भारी अंतर है, ऐसा खासकर लिंग भेद को लेकर अधिकारियों की असंवेदनशीलता के कारण है। महिलाओं के लिए मौजूद पब्लिक टॉयलेट बेहद गंदे हैं। अकसर उनके दरवाजे टूटे होते हैं या फिर लाइट या पानी नहीं होता। शौचालय ना होने पर अकसर महिलाएं सुनसान जगह ढूंढती हैं जिसमें उनके यौन उत्पीड़न का भी खतरा रहता है।
- टॉयलेट पास ना होने की स्थिति में कामकाजी महिलाएं कम पानी पीकर दिन गुजारना पसंद करती हैं ताकि उन्हें शौचालय ना जाना पड़े। अकसर वे खुद को 13 घंटे तक शौचालय ना जाने पर मजबूर करती हैं जिससे उनके ब्लाडर पर जोर पड़ता है। ऐसा करने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त कई शोध व अध्ययनों व शोध से पता चला है कि शौचालयों के अभाव के कारण बड़ी संख्या में देश की लड़कियां माहवारी शुरू होने पर स्कूल जाना छोड़ देती हैं।

आगे की राह

- खुले में शौच को रोकने के लिए पूरे समुदाय के व्यवहार में एक निरंतर बदलाव की आवश्यकता है ताकि शौचालय का उपयोग करने का एक नया आदर्श बने और सभी को स्वीकार्य हो। खुले में शौच को समाप्त करने के लिए शौचालय और अन्य बुनियादी सेवाओं के निर्माण, रख-रखाव और उपयोग में निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है।
- हर रोज घरों और कामकाज के स्थानों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और बाजारों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय उपयोग करने की सुविधा एक बुनियादी मानव अधिकार है। स्वच्छता में सभी के लिए गुणवत्ता, न्याय और गरिमा का समर्थन करने वाले परिवर्तनकारी लाभ हैं।
- विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं को ध्यान में रखते हुए भारत में शौचालय की उपलब्धता को बढ़ाने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि जमीन की उपलब्धता पर निजी शौचालय बनाए जाएं और अगर जमीन उपलब्ध नहीं तो शेयर्ड शौचालय बनाए जाएं

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. खुले में शौच, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, ऐसे में स्वच्छता से जुड़ी जरूरतों और महिलाओं की कमजोरियों को बेहतर तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए। चर्चा कीजिये।

02 अफगान–तालिबान शांति वार्ता की धीमी प्रगति

चर्चा का कारण

- अंतरा-अफगानिस्तागन शांति वार्ता वर्ष 2020 की प्रमुख घटनाओं में से एक है। अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए अफगान सरकार और तालिबान के बीच वर्तमान में दोहा में चल रही वार्ता में पेंच बरकरार है। तालिबान ने अफगानिस्तान में 2001 से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हुई है, उसके बाद से लगातार हिंसा का दौर चल रहा है, जिसमें सेना के साथ नागरिक भी शिकार हो रहे हैं। वर्ष 2020 अफगानिस्तान के 19 साल के लंबे संघर्ष में सबसे हिंसक वर्ष साबित हुआ है। इस वर्ष तालिबान द्वारा कई नागरिकों सहित मीडियाकर्मी और सुरक्षाकर्मियों को मार दिया गया, फिर भी अमेरिका के प्रयासों से दोहा की राजधानी कतर में शांति वार्ता की सफलता की उम्मीदें बनी हुई हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि दोहा में हो रही वार्ता के सकारात्मक परिणाम तब तक नहीं निकलने वाले जब तक अमेरिका द्वारा अफगान सरकार को पूरी तरह विश्वास पर नहीं लिया जाता है।

परिचय

- अमेरिका-तालिबान शांति समझौता शर्तों पर आधारित है और अमेरिका द्वारा उसका क्रियान्वयन आतंकवादी संगठन के 'महज शब्दों पर नहीं' बल्कि 'आचरण' पर निर्भर करेगा। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते के अनुसार अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की योजना है और उसके बदले में तालिबान सुरक्षा गारंटी देगा। इस करार के तहत अमेरिका 14 महीने में 12,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा, तब से एक चौथाई सैनिक कम भी हो गये हैं।
- समझौते के अनुसार तालिबान ने वचन दिया है कि वह अलकायदा समेत अन्य संगठनों को अफगान जमीन का इस्तेमाल भर्ती, प्रशिक्षण, ऐसी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए नहीं करने देगा जो अमेरिका या उसके सहयोगियों के लिए खतरा पैदा करेगी। अफगानिस्तान सुलह के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जाल्मेय खलीलजाद ने साफ किया है कि यदि हमें समझौते को लागू करना है तो तालिबन के शब्दों को नहीं बल्कि उसके बर्ताव को देखना होगा।

शांति वार्ता की जटिलता

- अब्दुल्ला अब्दुल्ला, (जिन्होंने अफगानिस्तान में वर्ष 2019 में सम्पन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव परिणामों को चुनौती दी थी और राष्ट्रपति अशरफ गनी की वैधता और अधिकार पर सवाल उठाये थे। इसके अतिरिक्त उन्होने अल्पकालिक समानांतर सरकार का गठन भी किया था) वार्ता में सरकारी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। किन्तु उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह जिन्हे तालिबान विरोधी विचारों के लिए जाना जाता है, वे इस वार्ता के स्वरूप से सहमत नहीं हैं।
- अफगान सरकार ने तालिबन से संघर्ष विराम की मांग की थी, लेकिन तालिबान ने इस तरह की मांगों का विरोध किया और बातचीत के अन्य बिंदुओं जैसे कैदियों की अदला बदली (हाल में तालिबान के बढ़ते हमलों के बाद बंदियों की अदला बदली रुक गई थी।) और भविष्य की शासन प्रणाली पर जोर दिया। परिणामस्वरूप, अफगानिस्तान में हिंसा जारी रही।
- दिसंबर से पहले तीन महीने की बातचीत के बाद, तालिबान और सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता के लिए नियमों और प्रक्रियाओं (rules and procedures) के संबंध में सहमति व्यक्त की थी, किन्तु संघर्ष विराम अभी तक दिखावा ही साबित हुआ है।
- अफगान सरकार और तालिबान के बीच अभी भी युद्ध जैसी स्थिति है। तालिबान ने सरकारी ठिकानों पर हमला जारी रखा हुआ है। विश्लेषकों के मुताबिक, अगर यह बात सही है कि प्रगति दिखाने की मजबूरी में समझौता किया गया है, तो इसमें आगे दिक्कतें आ सकती हैं। दोनों पक्षों में अभी किसी मुख्य मुद्दे पर सहमति नहीं बनी है, बल्कि सिर्फ यह सहमति बनी है कि दोनों पक्ष इन मुद्दों पर बातचीत जारी रखेंगे।
- अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत निरंतर बढ़ती जा रही है। चिंता का विषय यह भी है कि वहां विदेशी शक्तियों की एक बड़ी संख्या अपनी मजबूत पैठ बना चुकी है। इस बात का खुलासा सयुंक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में दर्ज है, जो जुलाई, 2020 में प्रकाशित हुई थी। ऐसे तत्वों में हक्कानी ग्रुप के साथ पाकिस्तान के जैशे मोहम्मद और अन्य आतंकवादी गिरोह शामिल हैं।
- अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकता थी। लेकिन अब निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन की क्या नीति होगी, इस बारे में अभी स्थिति साफ नहीं है। क्या बाइडन प्रशासन ट्रंप के दौर में तालिबान से हुए समझौते पर कायम रहेगा, यह भी साफ नहीं है।

तालिबान की मंशा

- अमेरिकी विशेष दूत जाल्मय खलीलजाद के साथ दो साल तक चली सुलह और समझौते संबंधी बातचीत के बाद, सभी ने एक रुख अपनाते हुए, अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी पर जोर दिया। हालांकि, तालिबान ने दुनिया भर में अफगान नागरिकों, धार्मिक विद्वानों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा की जा रही युद्ध विराम की अपील को खारिज करते हुए, अफगान सरकार के साथ शांति वार्ता की मांग को लगातार ठुकराया है। तालिबान, अफगान सरकार को मान्यता नहीं देता है, और इसे "काबुल प्रशासन" कहता है, जो कि अमेरिका द्वारा स्थापित है।
- तालिबान का कहना है कि वह अफगानिस्तान में अमेरिकी बलों के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय बलों से तब तक लड़ता रहेगा जब तक कि अफगानिस्तान पर विदेशी ताकतों का कब्जा 'पूरी तरह' खत्म नहीं हो जाता। यही वजह है कि अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से

अपने सैनिकों की समूची वापसी के लिए सहमत होने व दोहा में अंतर-अफगान शांति वार्ता की शुरुआत के बावजूद, तालिबान ने अफगान बलों से लड़ना जारी रखा है। अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, तालिबान और अमेरिका के बीच अघोषित रूप से युद्धविराम जारी है, लेकिन अफगान सरकार के साथ इस तरह का कोई समझौता नहीं किया गया है। यह स्थिति इस बात के संकेत देती है कि तालिबान सत्ता पाने की मंशा रखता है।

अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकार से जुड़े मुद्दे

- मौजूदा अफगानिस्तान की जो स्थिति है, उसमें अमेरिकी सेनाओं का वतन लौटना तय हो चुका है। इसके साथ ही तालिबान का किसी न किसी तरीके से सत्ता में भागीदार बनना भी निश्चित है। बातचीत से पहले तालिबान भले ही यह संकेत देता रहा हो कि महिलाओं के खिलाफ अब उसके तेवर पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि तालिबान अभी भी इस्लामी अमीरात की व्यवस्था चाहता है, जहां शरीया कानून चले।
- कुछ देशों में शरीया कानून के तहत महिलाओं को कुछ निश्चित अधिकार मिले हैं, लेकिन तालिबान का शरीया कानून महिलाओं की आजादी के बिल्कुल खिलाफ है। बहरहाल, दोहा में जो बातचीत चल रही है उसमें तालिबान ने अपने तेवर कड़े किए हुए हैं। लिहाजा, 2004 के बाद आए खुलेपन का फायदा उठा कर तरक्की हासिल कर चुकी शहरी और मध्य वर्गीय महिलाओं के लिए आने वाला वक्त बेहद कश्मकश भरा है। इन महिलाओं का मानना है कि देश में शांति कायम करने के लिए जरूरी है कि तालिबान सत्ता में भागीदार बने लेकिन उसकी स्थिति इतनी मजबूत न हो कि वह महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए बने कानूनों को उलट दे। ऐसा होने से बेहतर है कि शांति वार्ता टूट जाए क्योंकि तालिबान का अपनी शर्तों पर सरकार में लौटना उनके लिए खतरे की घंटी साबित होगी।
- सिर्फ तालिबान ही नहीं अफगानिस्तान (खास कर ग्रामीण इलाकों में) का आम पुरुष भी महिलाओं के मामले में बेहद रुढ़िवादी है। तालिबान के इस्लामी अमीरात और उसके शरीया कानून का भले ही वो समर्थन न करता हो लेकिन सिर्फ 15 फीसदी पुरुष ही महिलाओं के बाहर जाकर काम करने के हिमायती हैं। ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि तालिबान अगर अपनी शर्तों पर लौटा तो लंबी जद्दोजहद के बाद अफगान महिलाओं को मिली ताकत और आजादी समाप्त हो सकती है।

अफगानिस्तान में शांति बहाली एवं भारत

- विश्लेषकों को आशंका है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर कश्मीर में अपनी आतंकी गतिविधियों को तेज कर सकता है, क्योंकि अमेरिकी सेना की वापसी के बाद पाकिस्तान के हाथ में कमान होगी। भारत का मानना है कि अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता है, जिसका नेतृत्व खुद अफगानिस्तान करे और इस पर उसका स्वामित्व और नियंत्रण भी हो।
- चीन, पाकिस्तान के जरिये अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में करना चाहता है। ऐसे में भारत की चिंता बढ़नी तय है। विश्लेषकों का मानना है कि दोहा वार्ता हर पहलु से एकांगी है। इसमें तालिबान की शक्ति और हित का संवर्धन हुआ है, न कि अफगानियों का।
- पिछले दो दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में बड़ी रकम खर्च की है। भारत की पहल विकास की रही है, जिसके तहत सड़क, डिजिटल नेटवर्क, हॉस्पिटल और स्कूल बनाये गये। चूंकि साल 1996 से 2001 की तालिबानी सरकार का कोई भी संबंध भारत के साथ नहीं था। भारत ने उसे कूटनीतिक मान्यता भी नहीं दी थी। लेकिन इस बार की समस्या कुछ और ही है। जानकारों का मानना है कि अब भूराजनीतिक समीकरण बदल चुका है, इसलिए भारत को अपने रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- तालिबान का वर्चस्व बढ़ने से भारत की समस्या बहुत गंभीर बन सकती है। इसलिए अमेरिका समेत दुनिया को तालिबान की वापसी को गंभीरता से लेना होगा। अमेरिकी प्रशासन को पूरी शांति प्रक्रिया की ईमानदारी से समीक्षा करनी चाहिए और तालिबान को रियायतें न देने के साथ उससे शर्तों के साथ ही बातचीत करना चाहिए। संघर्ष का स्थायी समाधान खोजने के लिए वार्ता बेहद महत्वपूर्ण है लेकिन यह तालिबान की शर्तों पर नहीं होना चाहिए। विश्लेषकों का मानना है कि अगर शांति वार्ता बिना शर्तों के साथ हुआ तो जो भी अफगानिस्तान ने अब तक प्रगति की है, वो उसे मिटा सकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।
- **Topic:**
- भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

प्र. तालिबान-अफगान शांति वार्ता तब तक सफल नहीं हो सकती, जब तक तालिबान संघर्ष विराम की घोषणा कर अफगान नागरिकों का विश्वास हासिल न करे। चर्चा कीजिये

03 वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम एनीव्हेयर तक : बढ़ता चलन

चर्चा का कारण

- वर्ष 2020 अधिकांश लोगों के सामान्य जीवन और काम करने के तरीकों में आए आमूलचूल बदलाव का प्रतीक बन गया, यह वो साल था जब पहली बार हमारे घर और दफ्तर एक हो गए।
- वर्ष 2020 से दुनियाभर में एक अनुकूल कार्यक्षेत्र की मांग बढ़ी है अर्थात ऐसी जगहों की, जहां कई उद्यमी एक साथ मिलकर काम कर सकें, या जो सामान्य दफ्तरों की परिपाटी से दूर हों और घर के करीब हो, जिसमें को-वर्किंग स्पेस यानी सह-कार्यशीलता को बढ़ावा देने वाले कार्यालय और नई से नई सुविधाओं से लैस, कार्यक्षेत्र भी शामिल हैं। हालाँकि इस मायने में भारत भी अनुकूल कार्यक्षेत्रों के दूसरे सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरा है।

परिचय

- लॉकडाउन ने पूरी दुनिया भर में उद्योग और कंपनियां में एकाएक ठहराव ला दिया था। किसी को इस बात का पता नहीं था कि सामान्य जीवन की शुरूआत यानी महामारी का अंत कब होगा। काम करने में आने वाली रुकावटों और हमारे कामकाजी जीवन में पड़े व्यवधानों ने उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव भी डाला।
- ये जगहें जो जीवन, ऊर्जा और नए विचारों का पर्याय बन चुकी थीं, अचानक वीरान हो गई। हालाँकि घर से काम करने को लेकर मीडिया में कुछ नकारात्मक सुर्खियाँ भी आई, लेकिन जैसे-जैसे दिन, हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदले, लॉकडाउन से प्रेरित नकारात्मकता और सब कुछ खत्म होने की भावना ने सख्त व्यावहारिकता के लिए रास्ता बनाया।
- अब यह संकेत मिल रहे हैं, कि यह कार्यक्षेत्र महामारी के बाद की दुनिया में अधिक लचीलेपन के साथ लौटेगा, साथ ही इससे

संबंधित विकास के अवसरों में भी उन्नति होगी।

- वैसे महामारी के बाद की इस दुनिया में उम्मीद और आशावाद का कारण यह है कि, कोविड-19 के चलते बड़े पैमाने पर हुए व्यवधानों ने ऐसे व्यावसायिक समाधानों की आवश्यकता पैदा कर दी है, जो लागत प्रभावी, चुस्त और टिकाऊ हों।

कोविड-19 का वर्किंग क्षेत्र पर प्रभाव

- वर्ष 2020 में मार्च और अप्रैल के अंत तक देश में लगे लॉकडाउन के चलते व्यापारिक गतिविधियाँ लगभग बंद सी हो गयीं थीं। इस बीच कंपनियां व्यावसायिक निरंतरता नियोजन (business continuity planning) में जुट गई, कार्यबल की छंटनी की गई, और कार्यक्षेत्र व घर के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई।
- कई प्रभावशाली कंपनियों ने लॉकडाउन के दौरान अपनी ऑनसाइट संबंधी व्यावसायिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी और साथ ही उन नीतियों का शुभारंभ किया, जिनसे कर्मचारियों को घर बैठे काम करने की छूट मिले। इसके साथ ही ऐसी नीतियां अमल में लाई गई, जिनके माध्यम से उत्पादन की अधिकता सुनिश्चित की जा सके।
- परन्तु लॉकडाउन के बाद के महीनों में, 'फ्लेक्स ऑपरेटरों' यानी लचीले कार्यक्षेत्रों के मालिकों ने अपने ग्राहकों में 50 प्रतिशत की गिरावट देखी, लेकिन इन संकट के बीच उद्योंगो का अंतर्निहित लचीलापन भी स्पष्ट हुआ और धीरे-धीरे, इस उद्योंगो ने वापस पटरी पर आने के संकेत भी दर्शाए हैं।
- इस सबके बीच हमारे सामूहिक शब्दकोष में एक नया शब्द जुड़ा है-सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी जिसे शारीरिक दूरी बनाए रखने के तौर पर समझा जाता है और इससे कंपनियों को बैठने, कार्यस्थलों के नक्शे बनाने और संचालन पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
- इसके अलावा, कई कंपनियों ने नई कार्य योजनाएं अपनाई हैं और बारी-बारी से कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने (rostered working days) की अवधारणा को साकार किया है।
- इसके अलावा महामारी ने जिस अन्य परिपाटी को महत्वपूर्ण साबित किया है, वह है

कार्यालयों का प्रशिक्षण, परामर्श और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण स्थान बना रहना। यह एक ऐसी जरूरत है जिसके बारे में कर्मचारियों ने खुलकर अपनी राय जाहिर की है और यह स्पष्ट है कि वह 'वर्क फ्रॉम होम' की परिपाटी में कार्यालयों की इस भूमिका की कमी महसूस करते हैं।

- इस संबंध में गूगल के CEO सुंदर पिचई और एक्सेंचर से संबंधित जूली स्वीट जैसे उद्योग जगत के दिग्गजों ने, व्यावसायिक विकास के लिए मानवीय संबंधों यानी इन-पर्सन इंटरैक्शन के महत्व पर जोर दिया है।
- साल 2020 में मैकिन्से की रिपोर्ट में यह भी पाया गया था कि एक ही स्थान पर काम करने वाली टीमों को विश्वास बनाने में आसानी होती है। इस रिपोर्ट में वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी जोर दिया गया था, जिनमें पर्याप्त संचार और समन्वय की कमी शामिल है, क्योंकि लोग जटिल सूचनाओं के आदान-प्रदान और चर्चाओं के लिए डिजिटल संवाद के बजाय, आमने-सामने संवाद करना पसंद करते है।

क्या फ्लेक्स स्पेस करेंगे समस्याओं का समाधान?

- भारत में वर्क फ्रॉम होम मॉडल के शुरुआती दिनों में उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ कर्मचारियों द्वारा 'काम और जीवन का बेहतर संतुलन' (work life balance) संबंधी कई रिपोर्ट सामने आई। हालांकि, जैसे-जैसे महीने बीतते गए, कई तरह की चुनौतियां भी सामने आई हैं, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं।
- कोच्चि स्थित एक गैर सरकारी संगठन के हालिया सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है, कि ज्यादातर लोगों के लिए कार्यालय से काम करने की तुलना में वर्क फ्रॉम होम अधिक तनावपूर्ण और सुस्त साबित हो रहा है। लगभग 87 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लगा कि कंपनियों को कर्मचारियों की भलाई पर केंद्रित स्पष्ट नीतियों को विकसित करना होगा, ताकि कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सके।
- स्क्रीन पर देखते रहने के समय में वृद्धि, बैठने की अजीब स्थितियां और सामाजिक संपर्क की कमी के कारण, कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
- इसकी तुलना में लचीले कार्यक्षेत्रों के अध्ययन, विपरीत यानी सकारात्मक नतीजे प्रस्तुत करते हैं। समर्पित सामुदायिक प्रबंधकों (community managers) को नियुक्त करने और अपने परिसरों में विभिन्न तरह के ईवेंट आदि आयोजित कर, फ्लेक्स ऑपरेटरों ने एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश की है, जो काम के साथ मनोरंजन के संतुलन पर आधारित है।
- लचीले कार्यक्षेत्र नेटवर्किंग और ज्ञान-साझाकरण की दिशा में भी सुविधाजनक साबित होते हैं।
- इसके अलावा लचीले कार्यक्षेत्र, विविधता और समावेशिता (inclusion) की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं।
- अधिकतकर लचीले कार्यक्षेत्र, शहरों की सीमाओं के भीतर मौजूद हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवागमन का समय कम हो क्योंकि दुनिया के अधिकांश देशों की तुलना में भारतीय लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में और दफ्तर आने जाने में कहीं अधिक समय सड़कों पर और आवाजाही में व्यतीत करते हैं।
- स्थानीय इलाकों में लचीले कार्यक्षेत्रों के लिए सुविधाएं प्रदान करने से, शहरों में बढ़ती भीड़ और यातायात संबंधित प्रदूषण जैसी समस्याएं भी हल होंगी और यह बदलाव, यातायात में बीतने वाले समय को भी कम करने में मदद करेगा। यह एक ऐसी समस्या है जिससे अधिकांश मेट्रोवासी प्रभावित हैं और इससे संबंधित कोई भी सुधार उन्हें आकर्षित करेगा।
- लचीले कार्यक्षेत्र, यात्रा की आसानी, नवीनतम तकनीक तक पहुंच और बीमारी संबंधी प्रोटोकॉल को लेकर विश्वसनीयता, इन सभी जरूरतों को एक छत के नीचे पूरा कर, 'स्मार्ट सिटी' के मॉडल को भी साकार करते हैं।
- हालाँकि भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए लचीले कार्यस्थल क्या लाभ उपलब्ध कराते हैं, इस व्यवहार्यता का आकलन करना भी जरूरी है, ताकि इन जगहों को व्यापक रूप से अपनाने की दिशा में सभी अवयवों को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित रूप से काम किया जा सके।
- महिला कर्मचारी फिलहाल घरेलू और पेशेवर दोनों जिम्मेदारियों से लदी हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की विस्तारित अवधि ने भारतीय सामाजिक ढांचे के भीतर, उन पर पारिवारिक जिम्मेदारियां और बढ़ा दी हैं परन्तु ऐसा अनुमान है कि लचीले कार्यक्षेत्र, महिलाओं को घरेलू और कामकाजी दोनों पक्षों के बीच संतुलन बहाल करने में सहायता कर सकते हैं।

सरकारी हस्तक्षेप व सहयोग

- लचीले कार्यक्षेत्रों से जुड़े उद्योग को सरकार की ओर से उद्योग के रूप में औपचारिक 'मान्यता' दिए जाने की आवश्यकता है। यह लचीले कार्यक्षेत्रों के बारे में जागरूकता को बढ़ाएगा और इस स्थानीय क्षेत्र के विकास में सहयोग प्रदान करेगा क्योंकि फिलहाल कामकाज संबंधी तंत्र पूरी तरह से महानगरों पर केंद्रित हैं।
- दूसरे, स्तर पर लचीले कार्यक्षेत्रों से जुड़े उद्योग को मिली सरकारी सहायता ,अन्य व्यवसायों के लिए भी उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी। इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग ने हाल ही में 'अटल इनोवेशन मिशन' की शुरुआत की, ताकि नए इनोवेटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त नकद पुरस्कारों के साथ भारतीय मूल के 'ऐप इकोसिस्टम' का भी निर्माण किया जा सके, इस तरह की पहल सरकार द्वारा स्टार्टअप्स का समर्थन करने के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। इस संदर्भ में लचीले कार्यक्षेत्र न केवल ऑफिस स्पेस के रूप में नए व छोटे स्टार्टअप के लिए पहली प्राथमिकता के तौर पर उभर रहे हैं, बल्कि उनके विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए 'इनक्यूबेटर' यानी शुरुआती मदद देने वाले माध्यमों के रूप में भी उन्हें अवसर प्रदान करते हैं।

के पास डिजिटल माध्यमों का तंत्र मौजूद था। हालाँकि, जैसा कि तर्क दिया गया है, वर्क फ्रॉम होम एक स्थायी कार्य-मॉडल नहीं है, और उद्योग इसके बजाय 'कहीं से भी काम करने वाले' अर्थात लचीले कार्यक्षेत्र मॉडल की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो उम्मीद यह है कि सरकार, कंपनियां और कर्मचारी रिमोट वर्किंग पर विचार करेंगे और इसके जरिए कुछ नए समाधान निकालेंगे।

- कोविड- 19 के दौरान तेजी से विस्तारित हुई, दूरस्थ कार्य संस्कृति (remote working culture), लचीले कार्यक्षेत्रों के विकास को आगे बढ़ाने में और बड़ी भूमिका निभाएगी, खासकर तब जब बड़ी संख्या में नियोक्ता, दीर्घकालिक रूप से वर्क फ्रॉम होम को एक कार्य प्रणाली के रूप में स्वीकार करने का मन बना रहे हैं।
- सरकार और लचीले कार्यक्षेत्रों के बीच सहजीवी और निरंतर सहयोग, इस विकास को आगे बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था, कार्यस्थलों से जुड़े नए समाधानों से लाभान्वित हों।

- तीसरे स्तर पर, लचीले कार्यक्षेत्रों का समर्थन करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर पर तब जब हमें पता चलता है कि वर्तमान में भारतीय कार्य संस्कृति (work culture) 'गिग अर्थव्यवस्था' की ओर रुख कर रही है। मिलेनियल कर्मचारी, जो साल 2025 तक वैश्विक कार्यबल का 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सा होंगे, लचीली कार्य संस्कृतियों को प्राथमिकता देते हैं जो उन्हें उस काम को करने व ऐसी परियोजनाओं के साथ जुड़ने का विकल्प प्रदान करती हैं, जो उन्हें सबसे बेहतर लगते हों।
- चौथा स्तर यह कि जैसे-जैसे कर्मचारी भौतिक कार्यालयों से वर्क फ्रॉम होम में स्थानांतरित हो रहे हैं, सरकार को ऑनसाइट काम पर सुरक्षित वापसी के लिए, प्रभावी मानक संचालन प्रक्रियाएं (standard operating procedures) प्रदान करने होंगे। उद्योग जगत से जुड़ी इकाईयों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इन प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।
- अंतिम रूप में, सरकारी निकायों और लचीले कार्यक्षेत्रों के बीच सहयोग भी विवेकपूर्ण तब और दिखाई देता है जब हम शहरी विकास मॉडल को इन दोनों के बीच साझा होता देखते हैं, सरकार अपने स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से भारतीय शहरों को 'स्मार्ट' बनाने के लिए कई प्रावधान लेकर आई है और लचीले कार्यक्षेत्रों के पास भी ऐसा ही मिशन है, जो भारतीय मेगा शहरों को 'स्मार्ट' बनाने पर केंद्रित है, ताकि पेशेवरों के लिए विश्वसनीय तकनीकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके और शहरों से भीड़ कम कर, टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

निष्कर्ष

- दुनिया भर में मौजूद कर्मचारियों ने, वर्क फ्रॉम होम के जरिए अपने काम को रातों रात घरों से संचालित करने में सफलता पाई, क्योंकि आबादी के एक बड़े हिस्से

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. 'वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम एनीव्हेयर' भारत जैसे विकासशील देश के लिए कहाँ तक सही है? टिप्पणी करें।

04 भारत वर्ष 2025 में विश्व की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था : सीईबीआर

चर्चा का कारण

- ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर फार इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2025 तक ब्रिटेन को पछाड़ कर फिर दुनिया की पाचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2030 तक तीसरे स्थान पर पहुंच जायेगा।
- यूके-आधारित थिंक टैंक, CEBR ने यह अनुमान भी लगाया है कि, कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उबरने की विषम नीतियों के कारण चीन पांच साल पहले ही, वर्ष, 2028 तक अमेरिका से आगे निकल जाएगा और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

भारत की स्थिति

- रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2021 में भारत की वृद्धि 9 प्रतिशत और वर्ष 2022 में 7 प्रतिशत रहेगी। सीईबीआर का कहना है कि यह स्वाभाविक है कि भारत जैसे-जैसे आर्थिक रूप से अधिक विकसित होगा, देश की वृद्धि दर धीमी पड़ेगी और 2035 तक यह 5.8 प्रतिशत पर आ जाएगी। आर्थिक वृद्धि की इस अनुमानित दिशा के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार में भारत 2025 में ब्रिटेन से, 2027 में जर्मनी से और 2030 में जापान से आगे निकल जाएगा।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गति कोविड-19 से पहले ही मंद पड़ने लगी थी। 2019 में वृद्धि दर 4.2 प्रतिशत रह गयी थी जो दस साल की न्यूनतम वृद्धि थी
- CEBR की रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग प्रणाली में कमजोरी, सुधारों के समायोजन और वैश्विक व्यापार में गिरावट सहित विभिन्न कारकों के एकत्रित होने के परिणामस्वरूप भारत की धीमी आर्थिक वृद्धि हुई है।
- साथ ही कोविड-19 महामारी भारत के लिए एक बड़ी मानवीय और आर्थिक आपदा रही है, जिसमें दिसंबर, 2020 के मध्य तक 1,40,000 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। हालांकि, प्रतिबंध हटाए जाने पर भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों ने पुनरुद्धार दिखाया है, लेकिन अभी भी उत्पादन पूर्व-महामारी के स्तर से बहुत नीचे है।
- हालाँकि उपर्युक्त संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने भी यही संकेत दिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब अधिकांश पूर्वानुमानों की तुलना में अधिक तीव्र गति से पटरी पर लौट रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विभिन्न एजेंसियों के पूर्वानुमान

- **NCAER का अनुमान-** एनसीएईआर ने अपनी मध्य-वर्ष की समीक्षा में चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2021) में 2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। डेलॉयट की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हासिल करेगी। इससे पहले, एनसीएईआर ने पूरे वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 12.6 प्रतिशत का अनुमान लगाया था।
- **क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 'एसएंडपी'-** क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था के वृद्धि अनुमान को ऋणात्मक 9 फीसदी से बढ़ाकर ऋणात्मक 7.7 फीसदी किया। रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था में बढ़ती मांग और कोविड-19 संक्रमण दर में कमी के चलते अपने अनुमान को संशोधित किया है।
- **नीति आयोग का दावा-** ज्ञातव्य है कि नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के अंत यानी मार्च 2022 तक देश की आर्थिक वृद्धि दर कोविड-19 महामारी से पहले के स्तर पर ही पहुंच जाने की संभावना जताई है।
- **आरबीआई-** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी चालू वित्त वर्ष (2020-21) के संशोधित पूर्वानुमान में आर्थिक वृद्धि दर के माइनस 7.5 फीसदी रहने की संभावना जाहिर की है, जबकि इसके पहले माइनस 9.5 फीसदी रहने का पूर्वानुमान जताया गया था।
- **इक्रा रेटिंग्स-** घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा (ICRA) का अनुमान है कि देश की अर्थव्यवस्था में तकनीकी मंदी चालू वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में खत्म हो जाएगी। इक्रा ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.8 फीसदी की गिरावट का अनुमान लगाया है।
- **अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और मूडीज-** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और मूडीज समेत दिग्गज रेटिंग एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत होने संकेत दिये हैं। इन एजेंसियों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में दूसरी तिमाही में गिरावट 7.5 फीसदी रही, जबकि इसमें 10 फीसदी गिरावट की आशंका जताई गई थी।

विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन रहा है चीन

- रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन वर्ष 2028 तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। हालाँकि पहले यह अनुमान लगाया गया था कि चीन ऐसा वर्ष 2033 तक कर पायेगा लेकिन करोना महामारी में चीन की अर्थव्यवस्था ने जो तेजी दिखाई है और दूसरी तरफ अन्य अर्थव्यवस्था जहां कमजोर हुई हैं इसकी वजह से आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की स्थिति व्यापक स्तर पर बदल सकती है।
- इस समय विश्व का लगभग 80 प्रतिशत AC चीन द्वारा निर्मित किया जा रहा है। वहीं वर्तमान स्मार्टफोन के बाजार पर चीन का 70 प्रतिशत से अधिक कब्जा है।

- 73-74 प्रतिशत सोलर सेल/पैनल चीन द्वारा निर्मित किया जाता है। वहीं वैश्विक सीमेंट उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत है।
- विश्व का लगभग 50 प्रतिशत कोयला उत्पादन चीन द्वारा किया जाता है। 44-45 प्रतिशत पानी जहाज निर्माण कार्य में चीन की हिस्सेदारी है। लगभग 60 प्रतिशत जूते चीन में बनाये जाते हैं।
- भारी उद्योग को आधार देने के लिए स्टील की आवश्यकता होती है और चीन लगभग आधा स्टील का उत्पादन अकेले करता है।
- चीन न सिर्फ विनिर्माण से संबंधित उत्पादों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है बल्कि वैश्विक कृषि निर्यात में भी चीन सबसे आगे है। इस तरह प्राथमिक एवं द्वितीयक सेक्टर पर चीन का लगभग पूरा कब्जा बना हुआ है।
- चीन प्रति वर्ष लगभग 2 हजार 560 अरब डॉलर का निर्यात करता है वहीं भारत का कुल निर्यात लगभग 430 अरब डॉलर से कम है।
- चीन न सिर्फ अधिक निर्यात करता है बल्कि अधिक उत्पादन करने के लिए कच्चे सामान के रूप में प्रति साल लगभग 2 हजार 150 अरब डॉलर का आयात भी करता है। भारत के संदर्भ में यह आंकडा लगभग 515 अरब डॉलर का है।
- चीन ने अपना रेल नेटवर्क लगभग 1 लाख 21 हजार किलोमीटर में फैलाया है और विश्व की सबसे तेज रेलों का संचालन किया है जिससे वस्तुओं और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना आसान हुआ है। भारत का रेल नेटवर्क अभी तीव्र गति की ट्रेन के अनुकूल नहीं हो पाया है।
- भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2020-21 में जहाँ -7.5 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दिखा सकती है वहीं चीन लगभग 3.4 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि के साथ आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में यहां की ग्रोथ रेट और बढ़ सकती है।

भारत को क्या करना चाहिए?

- भारत को मजबूत उद्योग तथा उद्योगों को समर्थन देने वाला कृषि क्षेत्र तैयार करना होगा। हालाँकि भारत के कृषि क्षेत्र ने विकास दर्शाया है, जो भारत में आर्थिक सुधार का एक महत्वपूर्ण कारक है। कृषि क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश भारतीय कार्यबल के साथ सुधार प्रक्रिया में एक समर्पित और क्रमिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है जो दीर्घकाल में कार्य-कुशलता और अल्पकालिक आय में वृद्धि के बीच संतुलित स्थापित करने वाला हो।
- भारत को मेक इन इंडिया परियोजना तथा स्टार्टअप इंडिया परियोजना को सफलता के साथ बढ़ाना होगा। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के मामले में भी भारत कई विकासशील देशों की तुलना में बेहतर है, क्योंकि यह दुनिया के अधिकांश टीकों का निर्माता है और भारत में 42 साल से टीकाकरण कार्यक्रम चालू है जिसके हर साल 55 मिलियन लोगों का टीकाकरण होता है।
- भारत में मौजूद बुनियादी ढाँचे की कमी का मतलब है कि इस क्षेत्र में निवेश से उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है इसलिये सरकार द्वारा बुनियादी ढाँचे पर किये गए खर्च से अर्थव्यवस्था में विकास सुनिश्चित होगा।
- भारत को गिरती हुई मांग को बढ़ाना होगा हालाँकि इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है तथा बाजार में नकदी बढ़ा रही है।

निष्कर्ष

- वस्तुतः 2050 में वैश्विक जीडीपी 170 से 180 ट्रिलियन डॉलर होगी और भारतीय जीडीपी भी तब तक लगभग 28 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद है "दुनिया के हर तीन मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं में से एक भारतीय होगा और भारत सबसे बड़ा वैश्विक मध्यम बनाएगा। इससे विश्व के देशों का भारत के प्रति विश्वास बढ़ेगा।
- इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सऊदी अरब को लिया जा सकता है। सऊदी अरब ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा कि भारत में निवेश की उसकी योजनाएं अपनी राह पर बनी हुई हैं। दुनिया के सबसे बड़े खनिज तेल निर्यातक देश का यह भी कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोना वायरस संक्रमण के दुष्प्रभावों से निकल कर आगे बढ़ने की पूरी ताकत और क्षमता मौजूद है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. भारत के वर्ष 2025 तक पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावनाएं तथा उनमें आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करें।

05 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग : भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़

चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया है। भारत सरकार का लक्ष्य देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करना है जोकि वर्तमान में 30 प्रतिशत है।

परिचय

- वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 2.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसे भारत के नीति निर्माताओं ने वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।
- कोरोना महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक नकारात्मक असर डाला है, इसी कारण नकारात्मक जीडीपी ग्रोथ देखी जा रही है, इसके बावजूद सरकार का मानना है कि वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।
- कुछ समीक्षकों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी इस गति को हासिल नहीं कर पायेगी। इनका कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में 55 साल का समय लिया था। इस समय तक हमने बहुत कुछ हासिल अवश्य कर लिया है लेकिन यह इतनी जल्दी संभव नहीं हो पायेगा।
- सरकार को यह भरोशा इस वजह से है क्योंकि बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें विकास की प्रबल संभावना है, जिसमें से एमएसएमई (MSME) प्रमुख है।
- MSME जिसका मतलब माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है क्योंकि इसमें होने वाला विकास लगातार और समावेशी होता है।
- MSME में 6.3 करोड़ यूनिट्स शामिल हैं, जिसमें 110 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। इस सेक्टर द्वारा 6000 से अधिक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, जिसका GDP में योगदान 29 फीसदी है। यह भारत के निर्यात में 48 प्रतिशत का योगदान देता है जिसे भविष्य में बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है।
- MSME क्षेत्र के महत्व को देखते हुए वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि अगले 5 साल में यह क्षेत्र भारत की आधी GDP और लगभग 50 मिलियन नए रोजगार का सृजन कर पायेगा।
- MSME विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में हो सकती हैं, जिनका वर्गीकरण पहले अलग-अलग किया गया था। निवेश के आधार पर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में इन्हें वर्गीकृत किया जाता था। सरकार ने मई 2020 में इसमें व्यापक बदलाव करते हुए विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर को समाप्त कर दिया है और वर्गीकरण का आधार निवेश और टर्न ओवर को बनाया गया है।
- सूक्ष्म उद्योग (Micro Industries)- इसमें ऐसे उद्योगों को शामिल किया जाएगा जिनका सम्मिलित निवेश 1 करोड़ से कम तथा टर्न ओवर 5 करोड़ से कम होगा।
- लघु उद्योग (Small Industries)- इसमें ऐसे उद्योगों को शामिल किया जायेगा जिनका सम्मिलित निवेश 10 करोड़ से कम तथा टर्न ओवर 50 करोड़ से कम होगा।
- मध्यम उद्योग (Medium Industries)- इसमें ऐसे उद्योगों को शामिल किया जायेगा जिसमें 20 करोड़ से कम तथा टर्न ओवर 100 करोड़ से कम होगा

एमएसएमई (MSME) की विशेषताएँ-

- भारत में प्रति साल 1.2 मिलियन युवा ग्रेजुएट होते हैं, जिन्हें यह क्षेत्र रोजगार दे सकता है।
- इसके माध्यम से निर्यात एवं विकास अधिक सहायक एवं गतिशील होगा।
- कम पूंजी में प्रारंभ और ग्रामीण-शहरी अंतराल में कमी होगी।
- व्यवसाय के लिए सरल प्रबंधन संरचना।
- मेक इन इण्डिया एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान में सहायक।

चुनौतियाँ

- भारत के MSME सेक्टर में भले ही कई संभावनाएं हैं लेकिन यह सेक्टर अभी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो निम्नलिखित हैं-
- भारत का MSME सेक्टर ऋण आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। इस क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 36 ट्रिलियन रुपये की आवश्यकता है जबकि बाजार में औपचारिक ऋण की उपलब्धता मात्र 16 ट्रिलियन रुपये की है और 20 ट्रिलियन रुपये की कमी है, जो इसके विकास में बहुत बड़ी रूकावट है।

- यहाँ यह भी ध्यान देना होगा कि बैंकिंग पहुँच कम होने के कारण भारत को MSMEs को अधिकांशतः वित्त NBFCs एवं सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (MFIs) से प्राप्त हो पाता है। इन क्षेत्रों में तरलता कम होने के कारण MSME को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- इस क्षेत्र के विकास एवं वित्तीय पहुँच में एक प्रमुख कारण इनका अनौपचारिक होना है या औपचारीकरण की कमी है। कुल MSME के मात्र 14 प्रतिशत का पंजीकरण किया गया है। कुल 6.3 करोड़ MSMEs में से 1.1 करोड़ ही GST व्यवस्था से जुड़े हैं। इनमें से आयकर दाखिल करने वालों की संख्या तो और भी कम है।
- औपचारीकरण की कमी के कारण इन्हें अपना व्यापार बढ़ाने, ऋण की जरूरत को पूरा करने, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में कठिनाई महसूस होती है।
- भारत का MSME क्षेत्र बड़े पैमाने पर पुरानी तथा अप्रचलित तकनीकों का प्रयोग करता है, जिससे उत्पादन कम होता है एवं लागत ज्यादा आती है। फलस्वरूप लाभ कम हो जाता है और MSMEs का विकास नहीं हो पाता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, स्किल्ड लेबर का कम प्रयोग इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के अन्य कारण हैं।
- इसके अलावा MSME के अधिकांश यूनिट सूक्ष्म (Micro) उद्योग की श्रेणी में आते हैं, जो घर के स्तर पर संचालित की जाती हैं। इसके कारण इनके उत्पादन और व्यापार को बढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है।
- MSME के संचालन के लिए सरकारी अनुमति एवं सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिसके कारण MSME स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता हैं। इसके अलावा स्थापित करने के बाद करों का भुगतान, अनुबंधों को लागू करना भी कठिन होता है।

MSME के विकास हेतु आवश्यक तत्त्व

- एक स्वतंत्र नियामकीय व्यवस्था की स्थापना जो स्टार्टअप से लेकर कर भुगतान और अनुबंधों को लागू करने की प्रक्रिया में सहायक की भूमिका निभा सके।
- ऐसे श्रम कानूनों में सुधार करना, जिससे MSME का संचालन कठिन हो जाता है।
- वित्त प्राप्ति को सुगम एवं पारदर्शी बनाना और MSME के बॉन्ड बाजार को बढ़ावा देना।
- सरकार के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को MSME प्रोग्राम के साथ जमीनी स्तर पर समायोजित करना।

MSME के विकास के लिए उठाए गये कदम

- सरकार ने MSMEs को वित्त की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का कोलेट्रल फ्री लोन देने की घोषणा की है। कोलेट्रल फ्री लोन का मतलब यह है कि अब बैंक उद्यमियों को अपने कारोबार के लिए कर्ज देते समय बदले में उनकी कोई दूसरी अचल संपत्ति गिरवी नहीं रखेंगे। सरकार अब इनके लोन की गारंटी लेगी।
- इस तरह की लोन की अवधि चार साल की होगी। उद्यमियों को एक वर्ष तक मूलधन को चुकाने की जरूरत नहीं होगी। एमएसएमई सेक्टर को बैंकों ने करीब 15 लाख करोड़ का कर्ज पहले ही दे रखा है। यह लोन 4 साल के लिए होगा। यह राहत 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का हिस्सा है।
- सरकार ने इन MSME के लिए फंड ऑफ फंड की भी घोषणा की। इस फंड ऑफ फंड का आकार 10000 करोड़ रुपये होगा। जो एमएसएमई विस्तार करना चाहते हैं उन्हें इस फंड ऑफ फंड से मदद मिलेगी।
- MSME के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सभी एमएसएमई को 45 दिन में सभी बकाए का भुगतान सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम करेंगे। दरअसल, सरकार घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन छोटे उद्योगों से सरकारी दफ्तरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी सामान खरीदती है। इसके अलावा सरकारी कंपनियों को भी इनके उत्पाद खरीदना अनिवार्य किया गया है।
- सरकारी कंपनियाँ घरेलू MSME के साथ व्यापार करें, इसके लिए यह नियम बनाया गया है कि सरकारी खरीद के लिए 200 करोड़ रुपये से कम के लिए ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। इससे घरेलू एमएसएमई को टेंडर में भाग लेने का मौका मिलेगा। सभी एमएसएमई के लिए ई-मार्केट लिंकेज शुरू होगा। उन्हें प्रदर्शनी में शामिल होने के उपाय किए जाएंगे।

निष्कर्ष

- कोविड-19 महामारी के पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट के लक्षण देखे जा रहे थे और कोविड-19 महामारी ने इसे और तीव्र बना दिया। सरकार को उद्योग जगत वाणिज्य, उद्योग और कृषि क्षेत्र के वृद्धि को मंद करने वाले कारको को पहचानते हुए सभी हितधारकों के साथ मिलजुल कर काम करना होगा जिससे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. कोविड-19 महामारी के वावजूद भी भारत के MSMES क्षेत्र में असीम संभावना देखी जा रही है। इससे आप कितना सहमत है? चर्चा करें।

06 यूएनएससी में राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखने की आवश्यकता

चर्चा का कारण

- शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत तीसरी बार (आजादी के बाद से कुल 8 बार) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रवेश कर रहा है। भारत के पिछले दो अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकालों 1991-92 और 2011-12 की तुलना में वर्तमान वैश्विक व्यवस्था का समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। भारत में पूर्व के कार्यकालों से लेकर अब तक काफी बदलाव आयें हैं। पिछले एक दशक में भारतीय हितों की सीमा का विस्तार हुआ है, इसलिए भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के साथ अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के समन्वय से वैश्विक शांति के प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। विश्लेषकों का मानना है कि नई दिल्ली को यूएनएससी (United Nations Security Council -UNSC) में अधिक उद्देश्यपूर्ण और व्यावहारिक बनाना चाहिए।

परिचय

- भारत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का 8वीं बार (इससे पहले, भारत को 1950-1951, 1967-1968, 1972-1973, 1977-1978, 1984-1985, 1991-1992 में अस्थाई सदस्य चुना गया था) अस्थाई सदस्य चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने भारत को भारी समर्थन देते हुए 2021-22 तक के लिए यूएनएससी का अस्थाई सदस्य चुना है। भारत 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया-प्रशांत श्रेणी से गैर-स्थायी सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार था।
- इस प्रकार भारत संयुक्त राष्ट्र के शक्तिशाली 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में एक गैर-स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। गौरतलब है कि 10 गैर-स्थायी सीटें क्षेत्रीय आधार पर वितरित की जाती हैं जिसमें अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिए 5, पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए 1, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के लिए 2, और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के लिए 2 सीट निर्धारित की गई है। परिषद के लिए चुने जाने के लिए, उम्मीदवार देशों को महासभा में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्य देशों के मतपत्रों का दो-तिहाई बहुमत चाहिए।

वैश्विक समीकरण में बदलाव का दौर

- **शीत युद्धः** शीत युद्ध शब्द का इस्तेमाल अमरीका और सोवियत संघ के बीच उस दौर में जारी रहे तनावपूर्ण संबंधों के लिए किया जाता है। शीत युद्ध को साल 1945 से 1989 के बीच का दौर को माना जाता है। कई इतिहासकार इसे सरकार चलाने की दो तरह की व्यवस्थाओं (पूंजीवाद और साम्यवाद) के बीच की लड़ाई के तौर पर भी देखते हैं। इसमें अमरीका पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था और रूस साम्यवादी प्रणाली का।
- **1991-1992 का दौरः** 1991-92 के दौरान सोवियत संघ के विखंडन से शीतयुद्ध की स्वतः समाप्ति हुई। इस दौरान पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवाद का अवसान हुआ और बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त सोवियत संघ के विघटन ने विश्व राजनीतिक परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया। महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ का अवसान हो गया और अब एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका रह गया और विश्व का स्वरूप एकध्रुवीय (unipolar) हो गया।
- **चीन एवं भारतः** इस दौरान पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित किया। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था पटरी पर लाना था इसलिए भारत ने भी इस दौर में आर्थिक उदारीकरण पर जोर दिया। हालांकि शीत युद्ध के बाद चीन अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने वाला सत्ता का वैकल्पिक केन्द्र बनकर उभरा। वर्ष 2011-2012 से चीन ने संयुक्त राष्ट्र में व्यापक एजेंडे के साथ अमेरिका के खिलाफ मुखर होना शुरू कर दिया। विश्लेषकों के अनुसार 21 वीं सदी के पहले दशक में भारत की खुद की सापेक्ष स्थिति में सुधार हुआ। 1990 के दशक में नई दिल्ली रक्षात्मक थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ नई दिल्ली की विदेशी नीति मात्र प्रतिक्रियावादी न रहकर एक सक्रिय विदेशी नीति के रूप में उभरकर सामने आई है।
- अमेरिका, चीन और रूस के बीच वर्तमान में मतभेद उभरे हैं। चीन एक बड़ी शक्ति बन गया है और वह विस्तारवादी नीति का अनुसरण कर रहा है। इसके अतिरिक्त चीन, रूस के करीब चला गया है। इसने दक्षिण चीन सागर में शक्ति के संतुलन को व्यापक

रूप से प्रभावित किया है। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता ने अमेरिका, जापान, भारत आदि देशों को हिंद-प्रशांत की वैश्विक व्यवस्था में सहयोग बढ़ाने को प्रेरित किया है।

यूएनएससी की भूमिका में बदलाव

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिन कानूनी मानदंडों और सिद्धांतों से बंधी थी, उन्होंने सदस्य देशों के आपसी मतभेदों और महात्वकांक्षाओं को साधा और संगठन के संचालन को सुगम बनाया। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। चीन अब कई तरह के अंतरराष्ट्रीय समझौतों जैसे- लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी (LTBT) का हिस्सा नहीं है, और रूस व संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार, हथियारों की कमी और हथियार प्रबंधन को बढ़ावा देने वाले संस्थानों की आलोचना करने या उन्हें खारिज करने पर तुले हैं, और ऐसे में सुरक्षा परिषद ने विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों के व्यवहार को नियंत्रण करने और सर्वहित में, वो क्या करें और क्या न करें, यह बताने की अपनी क्षमता खो दी है।
- दुनिया भर में राष्ट्रवादी राजनीति के उदय के साथ, सुरक्षा परिषद को अब निजी हितों को साधने के मंच के रूप में देखा जा रहा है। विश्व भर में राष्ट्रवाद का उदय, उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों का एकमुश्त पतन है, और लेन-देन की राजनीति को बढ़ावा मिलने से सभी देशों के बीच, हथियारों के जरिए एक दूसरे से संबंध बनाने की होड़ लगी है।
- सुरक्षा परिषद, पिछले दौर में हुए सुधारों में सफलतापूर्वक शामिल नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा एजेंडे के अनुसार सुरक्षा परिषद में शांति और सुरक्षा को लेकर, एक नई समझ पैदा हो रही है। हालाँकि, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद लगी प्रस्तावों की झड़ी ने सुरक्षा परिषद के नए उद्देश्यों को निर्धारित नहीं किया, बल्कि वैश्विक और स्थानीय मुद्दों के बारे में सुरक्षा परिषद की नई संकरता को दर्शाया है। कुल मिलाकर आम सहमति से विश्व की समस्याओं के समाधान खोजना आसान नहीं हुआ है।
- सीरिया में जारी युद्ध जैसे गतिरोध और संघर्ष यह दिखाते हैं कि सुरक्षा परिषद का नाकाम होना किस तरह के परिणाम सामने रख सकता है।

भारत की रणनीति

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाँच देशों -अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को स्थाई सदस्यता प्राप्त है। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है। वर्तमान परिपेक्ष्य में भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्य यूएनएससी के विस्तार और सुधार का समर्थन करते हैं। भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील तथा अफ्रीकी संघ के देश परिषद में स्थाई सदस्यता के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील ने अपनी दावेदारी के लिए समर्थन जुटाने के लिए जी-4 नामक संगठन बनाया है।
- महाशक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था को जहाँ वीटो के विशेषाधिकार के दुरुपयोग द्वारा अप्रासंगिक बना दिया है, वहीं भारत अपनी पूर्ण क्षमता से संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करने में लगा है।
- वैश्विक शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का क्रियान्वयन, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

आगे की राह

- संयुक्त राष्ट्र के संस्थानों के बीच, कामकाज को लेकर एक स्पष्ट विभाजन रखते हुए, सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र के समग्र लक्ष्यों के अनुरूप ही काम करना चाहिए, लेकिन इसकी एक मुख्य भूमिका, सुरक्षा संबंधी बुनियादी जिम्मेदारियों के लिए मजबूत जनादेश तैयार करना भी है। इस तरह की चीजों को लागू करने का एक तरीका यह हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक स्वचालित रेफरल प्रक्रिया की स्थापना की जाए, जिसके तहत वीटो किए गए प्रस्तावों को एक बार फिर विचार के लिए लाया जा सके, ताकि कानूनी प्रक्रिया में उनकी वापसी हो।
- भारत वैश्विक व्यवस्था में प्रतिद्वंदिता को देखते हुए बड़ी भूमिका गढ़ने का प्रयास कर कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारत भारत यूएनएससी के माध्यम से वैश्विक समुदाय के समक्ष चीन की आक्रामकता को बेहतर तरीके से रख सकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

प्र. भारत को बदलती वैश्विक व्यवस्था और इसकी नई चुनौतियों को देखते हुए यूएनएससी में अधिक उद्देश्यपूर्ण और व्यावहारिक बनाना चाहिए। चर्चा कीजिये।

07 बंगाल की खाड़ी एवं अंडमान सागर : भारत का सामरिक द्वार

चर्चा का कारण

- हाल के वर्षों में हिंद महासागर पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत ने महाद्वीपीय दृष्टिकोण के साथ साथ समुद्री मामलों को प्राथमिकता देनी शुरू की है। भारत व्यापक हिन्द महासागर क्षेत्र में अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था, समुद्री सैन्य क्षमताओं और सामरिक महत्वाकांक्षाओं के साथ क्षेत्र भर के देशों के साथ साझेदारी को मजबूत बनाने का इच्छुक है। इसकी प्रमुख वजहें हैं, पहली- भारत की वो महत्वाकांक्षा है, जिसके तहत वो हिंद महासागर क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बनना चाहता है। दूसरी, वजह- हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की तेजी से बढ़ती आक्रामक गतिविधियां हैं। इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत ने अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ अपने संबंधों को और बढ़ाने की कोशिश की है।

परिचय

- आधुनिक भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के सामरिक महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। भारत के पूर्वी एशिया के तमाम देशों के साथ मजबूत सम्बन्धों को बढ़ाने के लिए बंगाल की खाड़ी और उससे लगा अंडमान सागर, भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के साझा समुद्री क्षेत्र के तौर पर उभरा है।
- रणनीतिक तौर पर अंडमान-निकोबार की महत्ता इस बात से समझी जा सकती है कि इस द्वीपसमूह का सबसे दूर का क्षेत्र इंडोनेशिया से मात्र 90 मील की दूरी पर है। यदि अंडमान-निकोबार के नजरिए से भारत के पड़ोसियों की गिनती की जाय तो श्रीलंका के अलावा इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार भारत के सबसे नजदीक के पड़ोसियों में आते हैं। यह तीनों ही देश भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत भी आते हैं। इस लिहाज से अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के द्वार हैं।
- भारत, जो हिंद महासागर में केंद्र में स्थित है और जिसकी 7500 किलोमीटर की व्यापक तटरेखा है, 1380 से अधिक द्वीप हैं और 2 मिलियन वर्ग कि.मी. का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) है। देश की भौगोलिक स्थिति के कारण इसकी सुरक्षा, वाणिज्य और व्यापार समुद्री क्षेत्र के साथ जुड़ा है। भारत के इतिहास को आकार देने में महासागर का बहुत बड़ा योगदान है और भारत का भविष्य भी काफी हद तक इस पर निर्भर है। आसियान देशों सहित भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों, जापान, कोरिया गणराज्य, चीन और अमेरिका के साथ भारत के अधिकांश व्यापार इस क्षेत्र के जरिए होते हैं। देश के कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 80%, जिसके भविष्य में बढ़ने की उम्मीद है, हिंद महासागर के जरिए आयात किया जाता है।
- हिंद महासागर में बढ़ रहे खतरों जैसे समुद्री डकैती, गैरकानूनी हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और तमाम गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों से लड़ने में और साथ ही दूसरे देशों के बढ़ते दबदबे से निपटने में भी एक विकसित और नेटवर्कड अंडमान-निकोबार का बड़ा योगदान हो सकता है। सागर (एसएजीएआर) नीति हो या इंडो-पैसिफिक, एक्ट ईस्ट हो या नेबरहुड भारत की विदेशनीति में समुद्री आयाम महत्वपूर्ण हैं और इन नीतियों के मनवांछित फल जितने मनमोहक हैं, उनको पाने का रास्ता उतना ही दुर्गम।

नौवहन की स्वतंत्रता एवं चीन का हिन्द महासागर में बढ़ता दखल

- भारत अंतरराष्ट्रीय कानून, जो खास तौर पर 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि में परिलक्षित है, के आधार पर नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। विश्लेषकों के मुताबिक चीन इस क्षेत्र में, समुद्री संबंधों को मजबूत करके अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है। इसके लिए वो इस समुद्री क्षेत्र में अपने साझीदार देशों में बुनियादी ढांचे के विकास के प्रोजेक्ट चला रहा है। हालांकि, बहुत से देश चीन की कर्ज के जाल वाली कूटनीति में फंसने को लेकर आशंकित हैं।
- वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-आसियान कमेमोरेटिव सम्मेलन को संबोधित करते हुए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को भारत और आसियान देशों के बीच समुद्री साझीदारी का प्रमुख तत्व बताया। इस शिखर सम्मेलन में ही सभी देशों के नेताओं ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सुनिश्चित करने के लिए एक साझा व्यवस्था बनाने पर सहमति जताई। तब से ही भारत के इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव 2019 और आसियान-भारत प्लान ऑफ एक्शन 2021-2025 ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को प्रोत्साहन दिया है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जहां तक पारंपरिक सुरक्षा संबंधी चिंताओं की बात है, तो इसमें भारत और आसियान के बीच आपसी सहयोग अभी भी शुरुआती दौर में ही है। हालांकि अब भारतीय नौसेना, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की नौसेनाओं के साथ नियमित रूप से द्विपक्षीय युद्धाभ्यास कर रही है। लेकिन, सभी आसियान देशों के साथ भारत का नौसैनिक अभ्यास अभी अमेरिकी नौसेना और आसियान की सामूहिक नौसेनाओं साथ होने वाले युद्धाभ्यास जैसा

नहीं है। जबकि, आसियान देशों ने इसी तरह का नौसैनिक अभ्यास वर्ष 2018 में चीन के साथ किया था।

- भारत और आसियान के बीच बढ़ती नजदीकी को लेकर चीन चिंतित है, साथ ही न तो चीन और न ही आसियान देश ही अपनी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के विजन में कोई ऐसी बात कहते हैं जिसे चीन के खिलाफ माना जाए। यही फिक्र है जिसके कारण न तो भारत ने और न ही आसियान ने कभी भी इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों की आलोचना की या फिर आपसी सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की गंभीरता से कोशिश की।
- श्रीलंका और मालदीव में चीनी निवेश के पीछे कारोबारी मकसद है और एक वजह महत्वाकांक्षी बेल्ट रोड परियोजना भी है। लेकिन इन विशाल परियोजनाओं की लागत दोनों देशों की वित्तीय क्षमता से परे है और इसलिए अंततः उनके कर्ज के जाल में ही फंस जाने का अंदेशा है। इससे इस बात का जोखिम बढ़ जाता है कि चीन अपने भू-राजनैतिक इरादों को बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दे, जैसा कि हम्बनटोटा में देखा गया है।

भारत और आसियान देश

- हाल के वर्षों में भारत और आसियान देशों के बीच हिन्द महासागर एवं अंडमान सागर सामरिक सहयोग के तमाम आयामों का केंद्र बिंदु बन गया है। इस संदर्भ में भारत के इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) को भारत और आसियान देशों के संबंधों में मील का एक पत्थर कहा जा रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच एक मजबूत संवाद को नई रफ्तार देने की संभावना दिखती है।
- सितंबर 2020 में भारत और आसियान देशों के बीच मंत्रिस्तरीय बैठक में एक नए प्लान ऑफ एक्शन (2021-2025) पर सहमति बनी है। इससे, IPOI के तहत भारत और आसियान देशों के बीच जिस दिशा में बढ़ने पर सहमति बनी है, उसे और गति मिलेगी। भारत और आसियान के सदस्य देशों के बीच नजदीगी बढ़ेगी। दोनों पक्ष कुदरती साझीदार और सामरिक सहयोग की दिशा में सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ सकेंगे।
- भारत और आसियान के बीच जिस व्यापक प्लान ऑफ एक्शन (2021-2025) पर सहमति बनी है वो भारत के IPOI पहल के सामरिक ढांचे से मेल खाता है। इसके अतिरिक्त दोनों आपस में मिलकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सामरिक रूप से बेहद संवेदनशील मार्ग में अर्थपूर्ण, प्रभावी और ठोस रूप से संतुलन बनाने का काम कर रहे हैं। भारत के इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव के सामरिक तत्वों और उसके महत्वाकांक्षी न्यू प्लान ऑफ एक्शन के बीच का संबंध IPOI को बेहद ताकतवर बना देता है, और ये दोनों आपस में मिलकर एक मजबूत सामरिक रणनीति के रूप में सामने आते हैं, जिनमें वो ताकत और वो क्षमता है कि वो सामुद्रिक मार्गों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें।
- भारत और आसियान के बीच संवाद में मानवीय सुरक्षा का एक और क्षेत्र कोविड संकट भी है, जिसमें सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाएं दिखती हैं। भारत ने आसियान देशों के साथ मिलकर ऐसी जेनेरिक दवाएं और मेडिकल तकनीक विकसित करने की इच्छा जताई है, जिनका इस्तेमाल कोविड-19 के मरीजों के इलाज में हो सकता है।

आगे की राह

- आसियान के कई देशों, जैसे कि ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम इस समय चीन के साथ दक्षिण चीन सागर में समुद्री सीमा के विवाद में उलझे हुए हैं। वहीं, पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच जबरदस्त तनातनी है। ऐसे में भारत और आसियान देशों के बीच सामरिक सहयोग को IPOI के माध्यम से बढ़ाना और भी जरूरी हो गया है। क्योंकि, इससे भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र के बेहद संवेदनशील समुद्री मार्ग में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत के ओशन्स इनिशिएटिव में जिस राजनीतिक, सुरक्षा और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने की बात है, उसे भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के एक्शन प्लान से और मजबूती मिलती है।
- दीर्घकालिक लिहाज से भारत को अपनी आर्थिक और सैन्य क्षमताओं को ज्यादा तेजी से बढ़ाना होगा, ताकि चीन के साथ ताकत की जो खाई है, उसे कम किया जा सके। सिर्फ इससे ही हमारे पास उपलब्ध सामरिक विकल्पों का विस्तार हो सकता है। इन क्षमताओं को बढ़ाने में ज्यादा प्राथमिकता समुद्री क्षमता बढ़ाने को देनी होगी।
- भारत और आसियान देशों को, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में मानवीय चिंताओं से निपटने में सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। इससे ये समुद्री इलाके भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के बीच एक 'सामरिक गेटवे' के रूप में उभर सकेंगे।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के बीच बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए , इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करें।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 नागालैंड में अफस्पा

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड को सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम-अफस्पा (Armed Forces (Special Powers) Act– AFSPA) के तहत अगले छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य की सीमा के भीतर ऐसी अशांत और खतरनाक (disturbed and dangerous condition) स्थिति है, जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

2. प्रमुख बिन्दु

- केंद्र सरकार के अनुसार यह फैसला इसलिए किया गया क्योंकि राज्य के विभिन्न हिस्सों में हत्याएं, लूट और जबरन वसूली जारी है।
- सरकार ने इसके लिए सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम 1958 की संख्या 28 की धारा तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों को आधार बनाया है।

3. क्या है अशांत क्षेत्र?

- अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भी अफस्पा कानून के तहत ही आता है। अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल के पास होता है। वो किसी इलाके, किसी जिले या पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। इसके लिए भारत के राजपत्र पर एक अधिसूचना निकालनी होती है।
- यह अधिसूचना अफस्पा कानून की धारा 3 के तहत होती है। इस धारा में कहा गया है कि नागरिक प्रशासन के सहयोग के लिए सशस्त्र बलों की आवश्यकता होने पर किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है।
- किसी क्षेत्र विशेष में AFSPA तभी लागू किया जाता है जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को "अशांत क्षेत्र कानून" अर्थात डिस्टर्बड एरिया एक्ट (Disturbed Area Act) घोषित कर देती है। AFSPA कानून केवल उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है जो कि अशांत क्षेत्र घोषित किये गए हों। इस कानून के लागू होने के बाद ही वहां सेना या सशस्त्र बल भेजे जाते हैं।

4. सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम क्या है?

- 1950 के दशक में पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद की बढ़ती घटनाओं के चलते 1958 में तत्कालीन सरकार ने सैन्य बलों को शक्ति देने वाला एक कानून बनाया था। इस कानून का नाम सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून 1958 है।
- अफस्पा कानून में सेना को अधिक शक्तियां दी गई हैं। अफस्पा लागू होने पर सेना कहीं भी पांच या पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा सकती है। सेना के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। साथ ही चेतावनी का उल्लंघन करने पर गोली मारने तक का अधिकार सेना के पास होता है।
- सेना किसी के भी घर में बिना वारंट तलाशी ले सकती है। हालांकि अफस्पा के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सेना को नजदीकी पुलिस स्टेशन को सौंपना होता है। उसकी गिरफ्तारी के कारण बताने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट भी देनी होती है।

5. अफस्पा का विरोध क्यों?

- कुछ विश्लेषकों का मानना है कि सुरक्षा बलों के पास बहुत ही दमनकारी शक्तियां हैं जिनका सशस्त्र बल दुरूपयोग करते हैं। फर्जी एनकाउंटर, यौन उत्पीड़न आदि के मामले इसके सबूत हैं।
- यह कानून मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त इस कानून की तुलना अंग्रेजों के समय के "रौलट एक्ट" से की जा सकती है क्योंकि इसमें भी किसी को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है।
- यह कानून नागरिकों के मूल अधिकारों का निलंबन करता है।

02 भारत में एनीमिया की चिंताजनक स्थिति

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार, भारत में बड़ी संख्या में महिलाएँ और बच्चे में एनीमिया से ग्रसित हैं और हिमालय के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में इसका प्रसार सबसे ज्यादा है।

2. एनीमिया क्या है?

- जब शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का स्तर सामान्य से कम या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो इस स्थिति को एनीमिया कहते हैं। ऐसा आहार जिसमें पर्याप्त आयरन, फोलिक एसिड या विटामिन बी-12 नहीं होता है, एनीमिया का एक सामान्य कारण बन सकता है।
- जब शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो नसों में ऑक्सीजन का प्रवाह भी कम होता है। इससे खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और शरीर को जरूरी ऊर्जा भी नहीं मिल पाती है।
- एनीमिया के सामान्य लक्षणों में थकान, ठंड लगना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन और सांस लेने में तकलीफ, सिरदर्द आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य स्थितियां जो एनीमिया का कारण हो सकती हैं, जैसे- गर्भावस्था, मासिक धर्म के कारण रक्त की कमी, अल्सर, रक्त विकार या कैंसर (जैसे कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया या कैंसर), वंशानुगत विकार और संक्रामक रोग, इत्यादि। इससे मातृ मृत्यु-दर में वृद्धि के साथ साथ किशोरियों की शारीरिक व प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होती है।

3. भारत में एनीमिया कितना व्यापक है?

- नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NHFS) के अनुसार, इस सर्वेक्षण के दौरान 6 से 59 महीने के बच्चों और 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं और पुरुषों के बीच एनीमिया का परीक्षण किया गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NHFS) के अनुसार देश के 22 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में से 15 में आधे से अधिक बच्चे और महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। इसी तरह, इन 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 फीसदी से अधिक महिलाएं एनीमिक हैं।
- एनीमिक बच्चों व महिलाओं का अनुपात लक्षद्वीप, केरल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम तथा नागालैंड में तुलनात्मक रूप से कम है और लद्दाख, गुजरात, जम्मू-कश्मीर व पश्चिम बंगाल में अधिक है। इनमें से अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पुरुषों में एनीमिया का स्तर 30% से कम है।

4. देश में एनीमिया इतना व्यापक क्यों है?

- चावल और गेहूं पर अधिक निर्भरता व आहार में बाजरा की कमी एनीमिया के उच्च प्रसार के कारण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हरी और पत्तेदार सब्जियों की अपर्याप्त खपत एवं पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में कम पोषण के कारण भारत में एनीमिया के मामले बढ़ रहे हैं।
- भारत में एनीमिया का स्तर स्वतंत्रता के पश्चात भी लगातार उच्च बना हुआ है। यहाँ तक कि भारत में हरित क्रांति के बाद भी आहार एवं भोजन की आदतों में बदलाव नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों में विविधता का अभाव भी एनीमिया का एक प्रमुख कारण है। विश्लेषकों का मानना है कि इसके लिए आनुवंशिक या पर्यावरणीय कारक उत्तरदायी हो सकते हैं,किन्तु इस संबंध में गहन शोध अभी तक नहीं हुआ है।
- इसके अतिरिक्त , हीमोग्लोबिन का वर्तमान मानदंड पश्चिमी देशों की जनसंख्या पर आधारित है और भारत में इसके सामान्य मानक भिन्न हो सकते हैं। हालांकि भारत में ऐसी महिलाएँ भी हैं, जिनका हीमोग्लोबिन कभी-कभी छह या आठ तक गिर जाता है, किन्तु वे स्वस्थ रहती हैं।

5. पश्चिमी हिमालय के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में एनीमिया

- नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NHFS) के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 92.5 फीसदी बच्चे, 92.8 फीसदी महिलाएं और 76 फीसदी पुरुष एनीमिया से पीड़ित हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि लाहौल और स्पीति जिला, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, में 91 फीसदी बच्चे और 82 फीसदी महिलाएं एनीमिक हैं। ये दोनों क्षेत्र हिमालय के ठंडे रेगिस्तान का हिस्सा हैं। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल के बाकी हिस्सों में, एनीमिया की व्यापकता अपेक्षाकृत कम है।
- चूंकि शीत मरुस्थलीय क्षेत्र में फसलें आम तौर पर केवल गर्मियों में और सर्दियों के दौरान उगाई जाती हैं,ऐसे में एनीमिया के उच्च प्रसार का कारण प्रत्येक वर्ष लंबी सर्दियों के दौरान ताजी सब्जियों व फलों की कम आपूर्ति हो सकती है।

03 विधानसभा सत्र के आह्वान में राज्यपाल की भूमिका

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल सरकार की ओर से बुलाए गए राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। दरअसल, राज्य सरकार केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों पर चर्चा करने के लिए विशेष सत्र आयोजित करना चाहती थी।

2. राज्य के विधान-मण्डल के सत्र, सत्रावसान और विघटन में राज्यपाल की भूमिका

- अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल, समय-समय पर, राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा किन्तु उसके एक सत्र की अन्तिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अन्तर नहीं होगा।
- अनुच्छेद 163 के अनुसार, राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर कार्य करना आवश्यक है। इस प्रकार जब राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत सदन को आहूत करता है तो यह उसकी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि राज्य की मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर किया जाता है।
- संवैधानिक व्यवस्था के तहत कैबिनेट का सलाह और सिफारिश मानने के लिए राज्यपाल बाध्य हैं। अगर कैबिनेट ने विधानसभा का सेशन बुलाने की सलाह दी है तो राज्यपाल को उसके मुताबिक निर्णय करना होगा।

3. अपवाद

- साधारण स्थिति में मंत्रीपरिषद का फैसला मानने के लिए राज्यपाल बाध्य हैं लेकिन जब राज्यपाल को ऐसा प्रतीत हो कि मुख्यमंत्री सदन का समर्थन खो चुके हैं और उनके पर्याप्त संख्याबल पर आशंका है तो राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर सदन को आहूत करने का निर्णय ले सकता है। हालांकि राज्यपाल द्वारा अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत लिये गए निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

4. राज्यपाल की भूमिका में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- वर्ष 2016 में अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल के निर्णय द्वारा उत्पन्न संवैधानिक संकट की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा की गयी। नबम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर केस के फैसले में अनुच्छेद 174 की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि विधान सभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने और भंग करने के अधिकार का इस्तेमाल राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे।
- इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि राज्यपाल के पास यह मानने का कारण है कि मंत्रिपरिषद विश्वास खो चुका है तो वह मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने को कह सकते हैं।

5. सरकारिया आयोग की सिफारिशें

- केन्द्र सरकार द्वारा जून 1983 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व विधानसभा का गठन, विधानसभा सत्र आहूत करना, कानून-व्यवस्था की स्थिति गंभीर होने पर विधानसभा भंग करने की सिफारिश करना तथा विधायकों, मंत्रियों व मुख्यमंत्री को शपथ दिलाना है।
- इसके अतिरिक्त जब तक एक राज्य की मंत्रिमंडल को विधानसभा में पर्याप्त बहुमत प्राप्त है, तब तक मंत्रिमंडल द्वारा दी जाने वाली सलाह को मानना (जब तक स्पष्ट तौर पर असंवैधानिक न हो) राज्यपाल के लिये बाध्यकारी होगा। हालांकि ऐसी सलाह स्पष्ट तौर पर असंवैधानिक नहीं होनी चाहिए।

6. निष्कर्ष

- चूंकि राज्यपाल की शक्तियां सदन को बुलाने के संबंध में सीमित हैं, इसलिए सत्र को बुलाने के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि राज्यपाल सदन को आहूत करने से फिर भी इनकार कर देते हैं तो उनके इस निर्णय को अदालत में भी चुनौती दी जा सकती है।

04 भारत में आकाशीय बिजली की गंभीरता

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार आकाशीय बिजली से अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 के बीच भारत में लगभग 1,771 मौतें हुई हैं। ध्यातव्य है कि इससे होने वाली मौतों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

2. आकाशीय बिजली (तड़ित) क्या होती है?

- आकाशीय बिजली उच्च वोल्टेज और बहुत कम अवधि के लिये बादल और स्थल के बीच या बादल के भीतर प्राकृतिक रूप से विद्युत निस्सरण (Eelectrical Discharge) की प्रक्रिया है।
- इस प्रक्रिया में तीव्र प्रकाश, गरज, चमक और आवाज होती है।
- आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं एक निश्चित अवधि के दौरान और लगभग समान भौगोलिक स्थानों पर समान पैटर्न में होती है।
- इंटर क्लाउड (अंतर मेघ) या इंट्रा क्लाउड (अंतरा मेघ-IC) आकाशीय बिजली हानिरहित होती हैं, जबकि क्लाउड टू ग्राउंड (CG% बादल से पृथ्वी तक आने वाली) आकाशीय बिजली 'हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट' के कारण हानिकारक होती है।
- भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं। हिमालय और समुद्र से घिरे भारत की भागौलिक पारिस्थितिकी इसके लिए जिम्मेदार बताई जाती है।

3. इस प्रकार की मौतों को किस प्रकार कम किया जा सकता है?

- क्लाइमेट रेजिलिएंट ओब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल (Climate Resilient Observing Systems Promotion Council-CROPC) के अनुसार, किसानों, पशु चराने वालों, बच्चों और खुले क्षेत्रों में लोगों की जान बचाने के लिए बिजली गिरने की पूर्व जानकारी देना महत्वपूर्ण है।
- बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए, तड़ित सुरक्षा यंत्रों को लगाने जैसे स्थानीय तड़ित सुरक्षा कार्य योजनाओं की आवश्यकता है।
- आकाशीय बिजली से होने वाली मौतों को और कम करने के लिये लाइटनिंग रेजीलियंट इंडिया अभियान में अत्यधिक भागीदारी की आवश्यकता है।
- इसके अलावा स्थानीय आकाशीय बिजली सुरक्षा कार्य योजना, जैसे आकाशीय बिजली संरक्षण उपकरण (Lightning Protection Devices) स्थापित करने से भी जन-हानि को रोका जा सकता है।
- इसके अलावा आकाशीय बिजली से संबंधित पूर्वानुमान और चेतावनी को मोबाइल पर संदेशों के माध्यम से सभी क्षेत्रों और सभी भाषाओं में उपलब्ध कराई जानी चाहिए है।
- क्योंकि इस घटना की दुखद तस्वीर ये भी है कि बिजली गिरने से मरने वालों में सबसे ज्यादा मौतें ग्रामीण इलाकों में होती हैं। खेतों में काम कर रहे किसान और मजदूर इसका शिकार बनते हैं। जागरुकता के अभाव में कई बार ग्रामीण खेत में रुक जाते हैं या फिर हरे पेड़ों के नीचे ठहर जाते हैं, लेकिन ये हादसे की आशंका को और बढ़ा देता है।

4. आगे की राह

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने राज्यों को लाइटनिंग एक्शन प्लान तैयार करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं परंतु बड़ी संख्या में हो रही मौतों से पता चलता है कि इसके क्रियान्वयन में 'वैज्ञानिक और सामुदाय केंद्रित दृष्टिकोण' की आवश्यकता है।
- डब्लूएमओ (विश्व मौसम विज्ञान संगठन) के अनुसार, अगर बिजली की चमक और गड़गड़ाहट के बीच का समय 30 सेकंड से कम है, तो उस समय लोगों को घर के बाहर निकलने से बचना चाहिए। ऐसे में घर के बाहर की गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए 30 मिनट तक इंतजार करना चाहिए, जिससे हादसों से बचा जा सके।

05 जीरो कूपन पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में केन्द्र सरकार ने वित्तीय नवाचार का इस्तेमाल पंजाब और सिंध बैंक को पुनर्पूंजीकृत करने के लिए किया है, सरकार ने पंजाब और सिंध बैंक के पुनर्पूंजीकरण हेतु 5,500 करोड़ रुपए की कीमत के स्पेशल जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉड्स जारी किये हैं। केंद्र सरकार ने पहली बार किसी बैंक में पूंजी डालने के लिए जीरो कूपन यानी शून्य ब्याज दर वाले बॉन्ड जारी किए हैं।

2. परिचय

- बॉन्ड के जरिये पूंजी डालने की अवधारणा को सबसे पहले 2017 में पेश किया गया। उससे पहले, सरकार बैंकों को पूंजी बढ़ाने के लिये संचित निधि से नकद राशि दे रही थी, इससे राजकोषीय बोझ बढ़ रहा था।
- राजकोषीय दबाव कम करने के लिये सरकार ने अक्टूबर 2017 में नया तरीका निकाला जिसे बैंकों में पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड नाम दिया गया। इस व्यवस्था के तहत सरकार उन बैंकों को बॉन्ड जारी करती है जिन्हें पूंजी की जरूरत है। हालाँकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार सबसे बड़ी शेयरधारक है, इसलिये बैंकों के पूंजी भंडार को मजबूत करने की जिम्मेदारी सरकार की है।
- सरकार की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार गैर-सूचीबद्ध पंजाब ऐंड सिन्ध बैंक को 10-15 साल अवधि के लिए बिना ब्याज वाले पांच बॉन्ड जारी किए जाएंगे, जो 2030 से 2035 के बीच 14 दिसंबर को परिपक्व होंगे।
- ये सांविधिक तरलता अनुपात की पात्रता वाले बॉन्ड नहीं हैं मगर फिर भी इस निवेश को अंकित मूल्य पर बैंक की हेल्ड टु मैच्योरिटी श्रेणी में माना जाएगा।
  - इन बॉन्डों को RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक की परिपक्कव प्रतिभूतियों (Held-To-Maturity- HTM) की श्रेणी में शामिल किया जाता है।
  - ध्यातव्य है कि HTM प्रतिभूतियों को परिपक्वता अवधि तक के लिये खरीदा जाता है।

3. क्या होता है पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड

- इस व्यवस्था के तहत सरकार उन बैंकों को बॉन्ड जारी करती है जिन्हें पूंजी की जरूरत है। संबंधित बैंक उस बॉन्ड को लेते हैं और उसके एवज में सरकार को पैसा मिलता है।
- इस तरह सरकार को जो राशि प्राप्त होती है, उसे बैंक की इक्विटी पूंजी में डाला जाता है। इससे सरकार को वास्तव में अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना पड़ता।
- हालांकि, पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड के रूप में बैंक जो राशि निवेश करते हैं, उस पर उन्हें ब्याज मिलता है। इससे सरकार को राजकोषीय घाटे को काबू में रखने में मदद मिलती है।
- लेकिन पंजाब ऐंड सिन्ध बैंक में शून्य ब्याज वाले बॉन्ड के जरिये पूंजी डालने से बैंक को इन बॉन्डों के परिपक्व होने पर केवल 5,500 करोड़ रुपये मिलेंगे।

4. विशेष शून्य कूपन पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड

- इस बॉन्ड में केवल वे ही बैंक उनमें निवेश कर सकते हैं, जिन्हें इसके लिये निर्दिष्ट किया गया है, कोई और नहीं। साथ ही ये केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से किसी संस्थान को जारी किये जाते हैं।
- यह बॉन्ड न तो व्यापार योग्य है और न ही इनका हस्तांतरण किया जा सकता है। यह केवल एक विशिष्ट बैंक तक ही सीमित है तथा इन्हें एक निर्दिष्ट अवधि के लिये ही जारी किया जाता है।
- निजी कंपनियों द्वारा जारी किए गए शून्य कूपन बॉन्ड सामान्य रूप से छूट पर जारी किए जाते हैं, लेकिन सरकार के शून्य कूपन बॉन्ड विशेष बॉन्ड होते हैं जो पारंपरिक नहीं होते हैं, क्योंकि ये अंकित मूल्य पर जारी किए जा सकते हैं।

06 मणिपुर में इनर लाइन परमिट

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में मणिपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य में इनर लाइन परमिट प्रणाली के महत्त्व पर भी प्रकाश डाला।
- साथ ही गृह मंत्री ने इंफाल में वर्चुअल माध्यम से ई ऑफिस और थुबल बहुद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया।

2. क्या है इनर लाइन परमिट सिस्टम

- इनर लाइन परमिट सिस्टम का विचार औपनिवेशिक क्षेत्र से लिया गया है। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, 1873 के तहत ब्रिटिश शासकों ने निर्धारित इलाकों में एंट्री और बाहरी नागरिकों के आने जाने पर रोक लगा रखी थी, ये सब ब्रिटिश शासकों ने अपने व्यापार और हितों को सुरक्षित रखने के लिए किया था।
- इनर लाइन परमिट प्रणाली के तहत देश के दूसरे राज्यों से मणिपुर जाने वाले लोगों को पहले अनुमति लेनी होती है।
- इस पूरे सिस्टम का उद्देश्य राज्य के मूल नागरिकों की आबादी, जमीन, नौकरी और अन्य सुविधाओं को सुरक्षित करना और राज्य में दूसरे राज्यों से आए लोगों को बसने से रोकना है।

3. मुख्य बिन्दु

- मणिपुर के लोगों द्वारा लंबे समय से इनर-लाइन परमिट (ILP) की मांग की जा रही थी, जिसे देखते हुए नगालैंड के दिमारपुर जिले के साथ संपूर्ण मणिपुर को इनर-लाइन परमिट (ILP) प्रणाली के दायरे में लाया गया था।
- इसके तहत भारतीय नागरिकों को मणिपुर के संरक्षित इलाकों में निश्चित दिन के लिए यात्रा की इजाजत मिलती है।
- गौरतलब है कि उत्तर-पूर्व में मणिपुर चौथा राज्य है, जहां ये व्यवस्था लागू है। मणिपुर के अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में भी इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू है।

4. इनर लाइन परमिट की आवश्यकता

- पूर्वोत्तर में कई समूह इनर-लाइन परमिट व्यवस्था को अवैध अप्रवासियों के प्रवेश के विरुद्ध ढाल के रूप में देखते हैं।
- साथ ही नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम को इनर-लाइन परमिट व्यवस्था के कारण ही नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 के प्रावधानों से छूट दी गई थी अर्थात ये प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों तथा 'इनर-लाइन परमिट' प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। हालाँकि इनर लाइन परमिट सिस्टम की मांग नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में भी हो रही है।

5. वर्तमान स्थित्ति

- नागरिकता संशोधन कानून को देखते हुए इनर लाइन परमिट सिस्टम पर चर्चा और तेज हो गई, क्योंकि नागरिकता संशोधन बिल के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों से गैर मुस्लिम नागरिकों के लिए भारत की नागरिकता हासिल करना आसान हो गया है।
- परन्तु इस कानून से बांग्लादेश से आने वाले लोग उन राज्यों में नहीं बस पाएंगे, जहां इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू है क्योंकि कोई भी भारतीय नागरिक बिना अनुमति के इन राज्यों की यात्रा नहीं कर सकता, बशर्ते कि वह राज्य का नागरिक हो।

6. थौबल बहुउद्देशीय परियोजना

- थौबल बहुउद्देशीय परियोजना को पहली बार योजना आयोग द्वारा वर्ष 1980 में स्वीकार किया गया था। हालाँकि वर्ष 2014 तक इस संबंध में कुछ नहीं हो सका और परियोजना कागज पर ही रही।
- यह मणिपुर नदी की सहायक थौबल नदी पर स्थित है और इससे 35,104 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इस परियोजना की मूल लागत 47.25 करोड़ रुपए थी।

07 विशाल हिमखंड 'A68a'

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में वैज्ञानिकों ने दक्षिण जॉर्जिया की ओर खिसकता हुआ 'A68a' नाम का विशाल हिमखंड देखा है। वैज्ञानिकों के अनुसार, यह विशाल हिमखंड (Iceberg) सुदूर दक्षिण अटलांटिक द्वीप से विखंडित होकर ब्रिटिश अधिकृत द्वीप दक्षिण जॉर्जिया से टकरा सकता है। यह हिमखंड वर्ष 2017 में अंटार्कटिका से अलग हो गया था।
- इससे जॉर्जिया द्वीप के वन्य जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है।

2. परिचय

- इस इलाके में यह ऐसी पहली घटना नहीं है। पहले भी ऐसा यहां कई बार हो चुका है और इसीलिए इस इलाके को "हिमखंडों का कब्रिस्तान" कहा जाता है।
- एक आकलन के मुताबिक इस आइसबर्ग का वजन एक ट्रिलियन टन है और यह 200 मीटर गहरा, 158 किलोमीटर लंबा और 48 किलोमीटर चौड़ा है। इस विशालकाय हिमखंड का आकार मुट्ठी की तरह है।
- इसकी वजह से इसका जमीन से टकराने का खतरा दूसरे विशाल आइसबर्ग की तुलना में कहीं ज्यादा है।
- यह आइसबर्ग तीन साल पहले अंटार्कटिक आइस शेल्फ से कटकर अलग हो गया था और 10 हजार से ज्यादा मील का सफर तय करने के बाद दक्षिण अटलांटिक में दक्षिण जॉर्जिया के समीप पहुंचा है।
- ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के प्रमुख डॉ. ऐंड्रू फ्लेमिंग के मुताबिक अभी यह दक्षिण जॉर्जिया के ही आकार का है।
- वैज्ञानिकों का मानना था कि फरवरी में महासागर में बहने के बाद A68 नाम का हिमखंड हजारों छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट गया लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि वह अभी भी एक विशाल आकार में है।
- फ्लेमिंग के अनुसार यह आइसबर्ग फिलहाल दुनिया में सबसे बड़ा है और इतिहास के पांच सबसे बड़े आइसबर्ग में से एक है।

3. इस विशालकाय हिमखंड के टकराने से नुकसान

- ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर जेरायंट टार्लिंग की चेतावनी के मुताबिक आइसबर्ग से निकलने वाले ठंडे और फ्रेश पानी की वजह से खाद्य श्रृंखला के सबसे नीचे रहने वाले जीवों, जैसे काई (microalgae) और प्लैंकटन के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो जाएगा।
- इसका असर दूसरे जीवों पर होगा जो खाने के लिए इन जीवों पर निर्भर रहते हैं। परिणामस्वरूप पेंग्विन और सील मछलियों जैसे जानवरों की आबादी खतरे में आ जाएगी।
- अगर यह समुद्रतल में रह रहे जीवों को खत्म करता है तो वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कार्बन डाई-ऑक्साइड का उत्सर्जन होगा।

4. इस विशालकाय हिमखंड के टकराने से लाभ

- चूँकि यह धूल और सेडिमेंट (तलछट) से भरा हुआ है इसलिए इसके पिघलने से समुद्र की उर्वरक क्षमता बढ़ सकती है।
- 20वीं शताब्दी के दौरान यहां वेल और सील मछलियां पकड़ी जाती थीं, इससे यहाँ पर मछली उत्पादन किया जा सकेगा।
- साथ ही यह हिमखंड अब भी पानी में तैर रहा है, इसलिए इसके साथ बहुत सारा आयरन भी होगा।
- इससे महासागर की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी और कई सूक्ष्म जीवों को पनपने का मौका मिलेगा।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 नागालैंड में अफस्पा

प्र. नागालैंड में अफस्पा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अफस्पा कानून के तहत सेना किसी के घर में बिना वारंट तलाशी ले सकती है।
2. अफस्पा कानून केवल उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है, जो कि अशांत क्षेत्र घोषित किये गए हों।
3. हाल ही में गृह मंत्रालय ने असम को अफस्पा के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 1 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (b)

व्याख्या : हाल ही में गृह मंत्रालय ने अफस्पा कानून के तहत नागालैण्ड (न कि असम) को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। विदित हो कि अफस्पा कानून केवल उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है, जो कि अशांत क्षेत्र घोषित किये गये हों। इस तरह कथन 3 गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

02 भारत में एनीमिया की चिंताजनक स्थिति

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. शरीर में जब लाल रक्त कोशिकाओं (RBC) का स्तर सामान्य से कम हो जाता है, तो उस स्थिति को एनीमिया कहते हैं।
2. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NHFS) के अनुसार, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख में 92.5 फीसदी बच्चें, 92.8 फीसदी महिलाएं और 76 फीसदी पुरुष एनीमिया से पीड़ित हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (b)

व्याख्या : नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NHFS) के अनुसार केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख में 92.5 फीसदी बच्चे, 92.8 फीसदी महिलाएं और 76 फीसदी पुरुष एनीमिया से पीड़ित हैं। विदित हो कि जब शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं (RBC) का स्तर सामान्य से कम हो जाता है, तो इस स्थिति को एनीमिया कहते हैं। इस तरह दोनों कथन सही है, अतः उत्तर (c) होगा।

03 विधानसभा सत्र के आह्वान में राज्यपाल की भूमिका

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह का अधिकार अनुच्छेद 173 के तहत दिया गया है।
2. केन्द्र सरकार द्वारा जून 1983 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (b)

व्याख्या : राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह का अधिकार अनुच्छेद 163 (न कि 173) के तहत दिया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा जून 1983 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। इस तरह कथन 1 गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

04 भारत में आकाशीय बिजली की गंभीरता

प्र. आकाशीय बिजली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. आकाशीय बिजली उच्च वोल्टेज और बहुत कम अवधि के लिए बादल और स्थल के बीच प्राकृतिक रूप से विद्युत निस्सारण की प्रक्रिया है।

2. भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां सबसे अधिक आकाशीय बिजली गिरने की घटनायें होती हैं।
3. आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं एक निश्चित अवधि के दौरान और लगभग समान भौगोलिक स्थानों पर समान पैटर्न में होती है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या : हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार आकाशीय बिजली से अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 के बीच भारत में लगभग 1771 मौतें हुई हैं। आकाशीय बिजली के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सही हैं, अतः उत्तर (d) होगा।

05 जीरो कूपन पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड

प्र. जीरो कूपन पुनर्पूंजीकरण बॉण्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. जीरो कानून पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड के जरिये पूंजी डालने की अवधारणा को सबसे पहले वर्ष 2018 में पेश किया गया।
2. पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड के रूप में बैंक जो राशि निवेश करते हैं, उस पर उन्हें व्याज नहीं मिलता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (d)

व्याख्या: हाल ही में केन्द्र सरकार ने वित्तीय नवाचार का इस्तेमाल पंजाब और सिंघ बैंक को पूनर्पूंजीकृत करने के लिए किया है। जीरो कूपन पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड के जरिये पूंजी डालने की अवधारणा को सबसे पहले वर्ष 2017 में पेश किया था। पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड के रूप में बैंक जो राशि निवेश करते हैं, उस पर उन्हें व्याज मिलता है। इस तरह दोनों कथन गलत है, अतः उत्तर (d) होगा।

06 मणिपुर में इनर लाइन परमिट

प्र. इनर लाइन परमिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इनर लाइन परमिट का विचार औपनिवेशिक क्षेत्र से लिया गया है।
2. इनर लाइन परमिट प्रणाली के तहत देश के दूसरे राज्यों से मणिपुर जाने वाले लोगों को पहले अनुमति लेनी होती है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या : हाल ही में मणिपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री ने राज्य में इनर लाइन परमिट प्रणाली के महत्त्व पर भी प्रकाश डाला। मणिपुर में इनर लाइन परमिट के संदर्भ में उपर्युक्त दोनों कथन सही है। अतः उत्तर (c) होगा।

07 विशाल हिमखंड 'A68a'

प्र. विशाल हिमखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वैज्ञानिकों के अनुसार इस विशाल हिमखण्ड का वजन एक ट्रिलियन टन है।
2. यह लगभग 200 मीटर गहरा, 158 किमी॰ लंबा तथा 48 किमी॰ चौड़ा है।
3. इस विशालकाय हिमखण्ड का आकार मुठ्ठी की तरह है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में वैज्ञानिकों ने दक्षिण जॉर्जिया की ओर खिसकता हुआ '168' नाम का विशाल हिमखंड देखा है। वैज्ञानिकों के अनुसार, यह विशाल हिमखण्ड (Jeelery) सूदूर दक्षिण अटलांटिक द्वीप से विखंडित होकर ब्रिटिश अधिकृत द्वीप दक्षिण जॉर्जिया से टकरा सकता है। ज्ञातव्य है कि यह हिमखण्ड वर्ष 2017 में अंटार्कटिका से अलग हो गया था। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं, अतः उत्तर (c) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 अफ्रीकी स्वाइन बुखार

चर्चा में क्यों

- हाल ही में मणिपुर में गंभीर संक्रामक बीमारी अफ्रीकी स्वाइन बुखार के संक्रमण का पता चला है, इससे पहले सितंबर 2020 के दौरान असम में भी इस बीमारी के कारण हजारों सूअरों की मौत हुई थी।

अफ्रीकी स्वाइन बुखार

- अफ्रीकी स्वाइन बुखार (एएसएफ) घरेलू और जंगली सूअरों को प्रभावित करने वाला एक गंभीर वायरल रोग है। यह रोग पोर्क (सूअर मांस) के उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
- इससे संक्रमित होने वाले सूअर को आमतौर पर तीव्र रक्तस्रावी बुखार होता है और यह रोग शत प्रतिशत मौत का कारण बन जाता है।

- **बीमारी का प्रसार**
  - यह एक प्रकार का ट्रांसबाउंड्री एनिमल डीसीज (TAD) है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीविन या मृत संक्रमित सूअरों या उनके मांस के माध्यम से ही फैलती है।
  - चूंकि एएसएफ के उच्च पर्यावरणीय प्रतिरोधी होने के कारण इस बीमारी का संचरण दूषित खाद्य (पोर्क) और फोमाइट्स (गैर-जीवित वस्तुओं) जैसे जूते, कपड़े, वाहन, चाकू या अन्य उपकरण आदि के माध्यम से भी हो सकता है।

02 इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी

चर्चा में क्यों

- हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी (Indonesia's Mount Merapi Volcano) के आस-पास गर्म बादलों के निर्माण को देखा गया है, जिसके चलते इसमें विस्फोट की आशंका बढ़ गयी है।

प्रमुख बिन्दु

- हाल ही में इंडोनेशिया के भूगर्भीय आपदा प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास केंद्र (Geological Disaster Technology Research and Development Center) ने माउंट मेरापी ज्वालामुखी के आस-पास गर्म बादलों के फैलने (hot clouds spread) का अनुमान लगाया है। इसके चलते वहाँ रहने वाले 500 से अधिक निवासियों को हटाया गया है।
- इसके पहले अगस्त 2020 में इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पर सिनाबुंग ज्वायलामुखी में विस्फोट हुआ था। इस ज्वालामुखी के फटने से बड़ी मात्रा में राख और धुएं का गुबार निकाला था। धुआं और राख करीब 5000 मीटर की ऊंचाई तक जा पहुंचा था।
- वहीं नवंबर 2020 में इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में इली लेवेतलो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ था।

माउंट मेरापी ज्वालामुखी (Mount Merapi Volcano)

- इंडोनेशिया में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह सन 1548 से नियमित रूप से फट रहा है।
- इसे इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यह प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर'क्षेत्र में स्थित है।

- इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी (Indonesia's Mount Merapi Volcano) में अंतिम भयंकर विस्फोट वर्ष 2010 को हुआ था,जिसमें काफी जाल-माल का नुकसान हुआ था। इस विस्फोट में लगभग 347 लोग मारे गए थे।
- गौरतलब है कि दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया के आसपास के क्षेत्र में पड़ते हैं। एक अनुमान के मुताबिक, इंडोनेशिया की लगभग 250 मिलियन आबादी "रिंग ऑफ फायर" के अंतर्गत आती है, जिसके कारण यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट का खतरा बना रहता है।

ज्वालामुखी

- ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह (भूपटल) पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं।
- पृथ्वी के सतह के अंदर पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं वही जब यह मैग्मा पृथ्वी से बाहर आता है तो इसे लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय पृथ्वी से यही मैग्मा बाहर निकलता है एवं इसके साथ भारी मात्रा में जलवाष्प, राख एवं विभिन्न प्रकार के गैस इत्यादि बाहर निकलते हैं।

रिंग ऑफ फायर (Ring of Fire)

- 'रिंग ऑफ फायर', प्रशांत महासागर के चारों-ओर स्थित एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र है जहाँ विवर्तनिक प्लेटें आकर आपस में मिलती हैं। यहाँ विवर्तनिक प्लेटों के आपस में मिलने से ज्वालामुखी विस्फोट या उद्गार तथा भूकंपीय घटनाओं की निरंतरता रहती है।
- 'रिंग ऑफ फायर' को परिप्रशांत महासागरीय मेखला (Circum-Pacific Belt) के नाम से भी जाना जाता है।
- विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखी 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में ही पाए जाते हैं।

03 कानूनी पहचानकर्ता इकाई

चर्चा में क्यों

- भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल से आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से बड़े मूल्य के लेन-देन के लिए कानूनी पहचानकर्ता इकाई (Legal Entity Identifier) की शुरुआत करने का निर्णय किया है।

कानूनी पहचानकर्ता इकाई

- कानूनी पहचानकर्ता इकाई एक 20-अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या है जिसका उपयोग दुनिया भर में वित्तीय लेनदेन हेतु पार्टियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में इसकी कल्पना की गई थी।
- भारत के अंदर LEI कोड को "कानूनी पहचानकर्ता इकाई इंडिया लिमिटेड (LEIL)" से प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007" के तहत कानूनी पहचानकर्ता इकाई इंडिया लिमिटेड (LEIL) को भारत में LEI कोड के जारीकर्ता के रूप में भी मान्यता प्रदान की है।
- **विशेषताएँ**
  - कानूनी इकाई पहचानकर्ता कोड एक वित्तीय इकाई के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
  - यह नियामक आवश्यकताओं का पालन करने में मदद करता है।

- ट्रेड रिपॉजिटरी में लेनदेन की रिपोर्टिंग को सुगम बनाता है।
- LEI को रिजर्व बैंक ने बड़े कॉर्पोरेट कर्जदारों के साथ-साथ ओवर द काउंटर (OTC) व्युत्पन्न और गैर-व्युत्पन्न बाजारों में प्रतिभागियों के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहा है।

कानूनी पहचानकर्ता इकाई इंडिया लिमिटेड

- कानूनी पहचानकर्ता इकाई इंडिया लिमिटेड भारत में वैश्विक रूप से संगत कानूनी पहचानकर्ता इकाई (LEI) जारी करने के लिए एक स्थानीय परिचालन इकाई (LOU) के रूप में कार्य करता है।
- यह भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (Clearing Corporation of India Ltd-CCIL) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- भारत में विश्व स्तर पर कानूनी पहचानकर्ता इकाई जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड को 2014 में अधिकृत किया गया था।

भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड

- भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड की स्थापना अप्रैल, 2001 में धन, सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और जिंस बाजारों में लेनदेन के लिए गारंटीकृत समाशोधन और निपटान कार्यों के लिए की गई थी।

04 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम

चर्चा में क्यों

- हाल ही में पशुओं के जबरन परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को कब्जे में करने तथा पशुओं को गोशाला या अन्य आश्रयों में भेजने से जुड़ी केंद्र सरकार की अधिसूचना की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
- यह अधिसूचना पशु रोकथाम अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में जारी की गयी थी।
- इस याचिका के अनुसार 2017 में जारी की गई अधिसूचना मूल कानून, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के विरुद्ध है।

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के प्रमुख प्रावधान

- इस अधिनियम में "बंधुआ पशु" और "पालतू पशु" दोनों को अलग-अलग परिभाषित किया गया है।
- "बंधुआ पशु" से अभिप्रेत है कोई पशु (जो पालतू पशु न हो) जो चाहे स्थायी रूप से अथवा अस्थायी रूप से बंधुआ हालत में हो या जिसे बंधुआ हालत से निकल भागने में से रोकने के लिए बांध कर रखा गया हो।
- "पालतू पशु" से ऐसा पशु अभिप्रेत है जो साधाया हुआ है, या जो मनुष्य के काम आने के लिए किसी प्रयोजन की पूर्ति के निमित्त पर्याप्त रूप से साधाया गया है या साधाया जा रहा है।

- इस अधिनियम की धारा 4 में पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। जिसमें भारत सरकार का वन महानिरीक्षक (पदेन), भारत सरकार का पशुपालन आयुक्त (पदेन) के साथ-साथ गृह और शिक्षा से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों के एक-एक प्रतिनिधि, भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड का एक प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित लोग शामिल होते हैं।

पशुओं से जुड़े संवैधानिक प्रावधान

- संविधान का नुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नशलों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा।
- इसके अलावा मूल कर्तव्य में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखे।

05 वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

चर्चा में क्यों

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Western Dedicated Freight Corridor-WDFC) के रेवाड़ी-मदार खंड (Rewari - Madar section) को राष्ट्र को समर्पित किया है।

प्रमुख बिन्दु

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी-मदार खंड को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। उन्होंने इस मार्ग पर डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन (Double Stack Long Haul Container Train) को भी झंडी दिखाकर रवाना किया।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) के न्यू भाऊपुर-नई खुर्जा खंड के शुभारंभ के बाद से उस विशेष खंड में मालगाड़ी की औसत गति बढ़कर तीन गुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगंज तक पहली डबल स्टैक्ड कंटेनर मालगाड़ी के रवाना होने से भारत दुनिया के चुनिंदा देशों

में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान के सभी किसानों, उद्यमियों और व्यापारियों के लिए नए अवसर और नई उम्मीदें लाएगा।

डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर (Dedicated Rail Freight corridor -DRFC)

- डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर (Dedicated Rail Freight corridor -DRFC), रेल मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके तहत भारत में रेल के द्वारा मालवाहन को अधिक सुगम बनाया जाना लक्ष्य है।
- इस परियोजना में नई रेल लाइनों के विकास का लक्ष्य है। जिसके ऊपर सिर्फ मालगाडियाँ ही चलेंगी यानि मालवाहक रेल लाइनों व यात्री रेल लाइनों दोनों को एक दूसरे से अलग करने की योजना है।
- इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड' (Dedicated Freight Corridor Coporation of India Limited -DFCCIL) की है जो कि रेल मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
- दरअसल डीएफआरसी (DRFC)को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था जिसमें दो नये मालढुलाई गलियारों की बात कही गई थी।
- प्रथम गलियारे का नाम 'ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर' (Eastern Dedicated Freight Corridor- EDFC) और दूसरे गलियारे का नाम 'वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर' (Western Dedicated Freight Corridor- WDFC) है।
- जहाँ पूर्वी गलियारा पंजाब के लुधियाना को पश्चिम बंगाल के दानकुनी से जोड़ता है वहीं पश्चिमी गलियारा उत्तर प्रदेश के दादरी को महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित जवाहर लाल नेहरू पोर्ट से जोड़ता है।
- पूर्वी गलियारा लगभग 1856 किलोमीटर लम्बा तथा पश्चिमी गलियारा लगभग 1504 किलोमीटर लम्बा है।

06 सनफ्लावर-सी स्टार

चर्चा में क्यों

- हाल ही में सनफ्लावर-सी स्टार (Sun flower Sea Star) को आईयूसीएन ने क्रिटिकली एनडैनजर्ड (Critically Endangered) घोषित किया है।

प्रमुख बिन्दु

- हाल ही में ओरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी (Oregon State University) और द नेचर कंजर्वेसी (The Nature Conservancy) के नेतृत्व में सनफ्लावर-सी स्टार (Sunflower Sea Star) की आबादी के संबंध में एक वृहद अध्ययन किया गया।

- इस अध्ययन में कई चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अध्ययन में बताया गया है कि 2013 के बाद से सनफ्लावर-सी स्टार की आबादी में तेजी से कमी आई है। जिसक कारण समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन एवं समुद्री परिस्थितिकी में अन्य मानवीय हस्तक्षेप हैं।
- वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया कि सनफ्लावर सी स्टार की ज्यादातर आबादी नष्ट हो चुकी है। वर्तमान में सनफ्लावर-सी स्टार (Sunflower Sea Star) मेक्सिको के

साथ-साथ अमेरिकी तटों से भी नदारद हैं। 2016 के बाद से मेक्सिको और 2018 के बाद से कैलिफोर्निया में कोई भी सनफ्लावर-सी स्टार नहीं देखा गया है, जबकि ओरेगन और वाशिंगटन में मुट्ठी भर ही सनफ्लावर सी स्टार बचे हैं।

- सनफ्लावर-सी स्टार (Sunflower Sea Star) की उक्त स्थिति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (The International Union For Conservation Of Nature& IUCN) ने इसे क्रिटिकली एनडैनजर्ड (Critically Endangered) श्रेणी में डाला है।

सनफ्लावर-सी स्टार (Sunflower Sea Star)

- सनफ्लावर-सी स्टार (Sunflower Sea Star) को पाइकोनोपोडिया हेलियनथोइड्स (Pycnopodia helianthoides) के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में पाया जाने वाला एक बड़ा समुद्री तारा (sea stars) है।
- सनफ्लावर-सी स्टार अधिकतर समुद्री अर्चिन (sea urchins), क्लैम (clams), घोंघे (snails) और अन्य छोटे अकशेरुकी (small invertebrates) को भोजन के रूप में अपना शिकार बनाते हैं।
- सनफ्लावर-सी स्टार में आमतौर पर 16 से 24 अंग होते हैं तथा इनका रंग भी भिन्न-भिन्न होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, 2013 के बाद से इसकी आबादी में तेजी से गिरावट आई है।

07 सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन के निर्माण से जुड़े सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (Central Vista Project) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है।

याचिका से जुड़ी जानकारी

- सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को दी गयी पर्यावरण मंजूरी और कोरोना काल किए जाने वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए जा रहे खर्च की वैधता को चुनौती दी गयी थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सेंट्रल विस्टा परियोजना को मंजूरी देते समय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई सिफारिशों को लागू किया जा रहा हैं और निर्माण के दौरान पर्यावरण का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा कि सेंट्रल विस्टा परियोजना का कार्य शुरू करने से पहले धरोहर संरक्षण समिति की स्वीकृति लेना भी जरूरी होगा।

- साथ ही न्यायालय ने परियोजना के क्षेत्र में निर्माण के दौरान स्मॉग गन और स्मॉग टॉवर लगाने के लिए भी कहा है।

क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट?

- सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक राजपथ के आस-पास बने सरकारी भवनों का पुनर्निमाण या पुनर्उद्धार किया जाना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया त्रिकोणीय संसद भवन, कॉमन केंद्रीय सचिवालय और तीन किलोमीटर लंबे राजपथ का पुनर्निर्माण किया जाना है।
- इसके अलावा नए आवासीय परिसर के निर्माण का प्रस्ताव भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत रखा गया है। इस नए आवासीय परिसर में प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के अलावा सभी मंत्रालय और विभागों को समायोजित करने के लिए नए कार्यालय भवनों का निर्माण किया जाना है।
- सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपये रखी गयी है। इस प्रोजेक्ट को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

नए संसद भवन के बारे में

- सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाने वाला संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला होगा और इसे बनाने में कुल 971 करोड़ का खर्च अनुमानित किया गया है।
- त्रिभुजाकार आकृति में बनने वाले नए संसद भवन के निर्माण का कार्य 2022 में 75वें स्वतंत्रता दिवस तक पूरा करने का लक्ष्य रहा गया है।
- इस नए संसद भवन में 888 लोकसभा सदस्यों और संयुक्त सत्र में 1224 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था के साथ भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसमें भी जगह बढ़ाने का विकल्प रखा जाएगा।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
(मुख्य परीक्षा हेतु)

02

04

06

01 हाल ही में भारत सरकार द्वारा केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में नई औद्योगिक विकास योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना जम्मू-कश्मीर को नई पहचान देने में किस प्रकार सहायक होगी? चर्चा करें।

02 हाल ही में अफस्पा कानून समाचारों में रहा। अफस्पा कानून क्या है तथा इसके विवाद के बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा करें।

03 'डीप फेक' क्या है? यह वैश्विक लोकतंत्र के लिए किस प्रकार हानिकारक है? टिप्पणी करें।

04 हाल ही में वर्ड फ्लू का प्रकोप पूरे देश में खासकर पक्षी अभ्यारण्यों में फैल रहा है। पक्षी अभ्यारण्यों तक इस बीमारी का फैलाव एक नये खतरें की घंटी है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

05 'किसान कल्याण मिशन' क्या है? यह किसानों के सर्वांगीण विकास में किस प्रकार सहायक है? उल्लेख करें।

06 जीरो कूपन पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड क्या है? यह किसी देश के वित्तीय समावेशन को किस प्रकार प्रभावित करता है? चर्चा करें।

07 सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत में एनीमिया की समस्या बढ़ती जा रही हैं इस कथन से आप कितना सहमत हैं? टिप्पणी करें।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01

04

07

01 प्रवासी भारतीय दिवस-2021 की थीम क्या है?

आत्मनिर्भर भारत के लिए हिस्सेदारी

02 हाल ही में किस मध्य एशियाई देश ने मृत्युदण्ड को समाप्त किया है?

कजाकिस्तान

03 किस देश ने घोषणा की है कि वह स्थानीय भाषाओं में एक मुफ्त IDN (अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नाम) की पेशकश करेगा?

भारत

04 कौन सा देश भारत में 19 से 25 जनवरी के बीच SKYROS सैन्य-अभ्यास करेगा?

फ्रांस

05 कौन सा देश 'Five Eyes' खुफिया नेटवर्क में शामिल होने की योजना बना रहा है?

जापान

06 कौन सा राज्य 'शहरी स्थानीय निकाय (ULB)' में सुधार को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है?

तेलंगाना

07 विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कौन सा राज्य कर रहा है?

मध्य प्रदेश

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

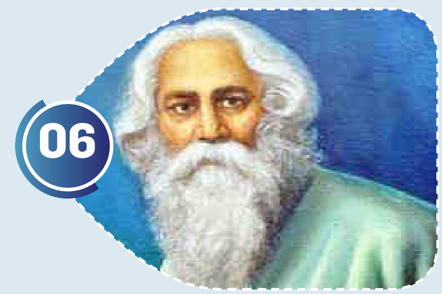

01 खुशी एक रहस्यमय चीज है जो बहुत कम और बहुत अधिक के बीच पाई जाती है।

रस्किन बॉन्ड

02 अपने मिशन में कामयाब होने के लिए, आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा।

अब्दुल कलाम

03 मनुष्य और उसके भाग्य की चिंता सभी तकनीकी प्रयासों की मुख्य दिलचस्पी बननी चाहिए। अपने चित्रों और समीकरणों के बीच कभी भी ये मत भूलना।

अल्बर्ट आइंस्टीन

04 संकट और चुनौतियों का कम से एक फायदा यह होता हैं कि वह हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।

पंडित जवाहरलाल नेहरू

05 मनुष्य का व्यवहार तीन चीजो से बनता है–चाहत, भावनाए और जानकारी।

प्लेटो

06 मौत प्रकाश को खत्म करना नहीं है; ये सिर्फ भोर होने पर दीपक बुझाना है।

रबीन्द्रनाथ ठाकुर

07 लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है।

नेल्सन मंडेला

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter (ध्येय IAS ई-मेल न्यूज़लेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

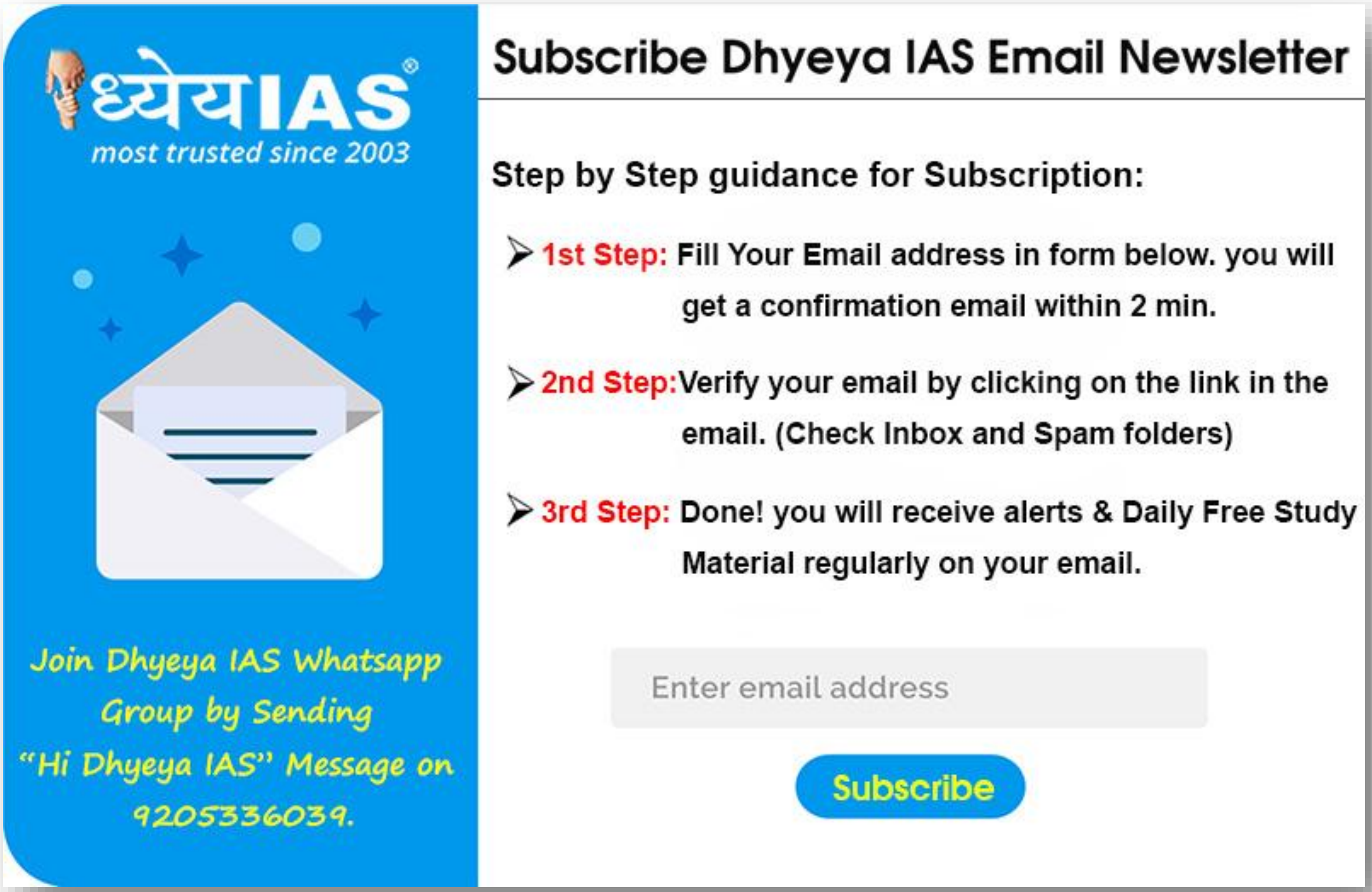

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com